तृतीय माला, खण्ड १८—अंक ५९

शनिवार, ४ मई, १९६३

१४ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	५९३५—३८
(१) पूर्वी पाकिस्तान पुलिस द्वारा संथालों का कथित अपहरण	
(२) पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से हिन्दू परिवारों का सीमा पार करके त्रिपुरा में आना	
श्री वाजी और श्री स० मो० बनर्जी द्वारा उठाये जाने वाले प्रश्न के बारे में	५९३८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५९३८—४०
राज्य सभा से सन्देश	५९४०—४१
संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक	५९४१—७४
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री वासुदेवन नायर	५९४२–४३
श्री यशपाल सिंह	५९४३—४५
श्री जयपाल सिंह	५९४५
डा० गायतोंडे	५९४५—४७
डा० कोलाको	५९४७–४८
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	५९४८–४९
श्री स० टो० सिंह	५९४९
श्री बड़े	५९४९—५३
श्री प्रताप सिंह	५९५३—५५
श्री गौरी शंकर कक्कड़	५९५५–५६
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	५९५६
श्री मान सिंह पृ० पटेल	५९५६–५७
श्री रिशांग किशिंग	५९५७
श्री सोनावने	५९५७–५८
डा० मा० श्री० अणे	५९५८
श्री डा० एरिंग	५९५९
श्री हजरनवीस	५९५९—६३
खंड २ से ५८ और १ तथा पहली और दूसरी अनुसूचियां संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५९६३—७४
श्री श्याम लाल सर्राफ.	५९७२–७३
श्री वासुदेवन नायर	५९७३
श्री च० का० भट्टाचार्य	५९७३
श्री हरि विष्णु कामत	५९७३
श्री बड़े	५९७३–७४
श्री हजरनवीस	५९७४
बोस आयोग की जांच पर महा न्यायवादी के प्रतिवेदन के तथाकथित प्रकट हो जाने के बारे में	५९७४—८१
दैनिक संक्षेपिका	५९८२—८४

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, ४ मई, १९६३

१४ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वी पाकिस्तान पुलिस द्वारा संथालों का कथित अपहरण

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस के बारे में एक वक्तव्य दें :—

"पूर्वी पाकिस्तान सीमा पुलिस द्वारा इक्कीस सन्थालों का कथित अपहरण।"

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : ३ अप्रैल को, लगभग ११.३० बजे, सन्थाल परगना के डुमका गांव से २१ सन्थाल शासानी में, भारत-पाक सीमा के निकट, शिकार करने गये, जो कि जिला मालदा में कालिया चक पुलिस स्टेशन के अधीन है। शिकार की खोज में जाते हुए और, राजशाही जिले में, अपने पूर्व के जमींदार को मिलने की आशा में, जो कि कंसाल में रहते है, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र में पाया, वहां, चूंकि उनके पास यात्रा के दस्तावेज नहीं थे, शासानी भारतीय सीमा चौकी के सामने स्थित पाकिस्तान अजमतपुर शिविर के मध्य कांस्टेबल ने उन्हें पहचान लिया। इन सन्थालों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें राजशाही जिले में साहिबगंज पुलिस स्टेशन में ले जाया गया।

इस से जाहिर होगा कि सन्थालों का पूर्वी पाकिस्तान सीमा पुलिस द्वारा अपहरण नहीं किया गया, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रतिवेदित किया गया है, वरन् उन्हें यात्रा दस्तावेजों के बगैर बिना इरादे के सीमा पार करने पर पाकिस्तान में नजरबन्द किया गया है। माल्दा के जिला दण्डाधीश ने राजशाही के डिप्टी कमिश्नर से अनुरोध किया है कि इन सन्थालों को मुक्त कर दिया जाय क्योंकि वह बिना इरादे के पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र में चले गये थे।

†मूल अंग्रेजी में

598 (Ai) LSD—1.

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इन सन्थालों के अतिरिक्त ८७ भारतीयों का अपहरण किया गया था। क्या उन में से किसी को मुक्त किया गया है, और यदि नहीं तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक अलग मामला है जिस का सन्थालों सम्बन्धी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इन अपहृत लोगों को मुक्त कराने के लिये मंत्रि-स्तर पर बातचीत करने के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** इस विशेष मामले में, माल्दा के जिला दण्डाधीश ने राजशाही के डिप्टी कमिश्नर के साथ कई बार बातचीत की है। माननीय सदस्य अपहृत व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। जिन लोगों का अपहरण किया गया उन्हें समय समय पर मुक्त किया जाता है। लैफ्टिनेंट कर्नल के मामले को पाकिस्तान में उच्चतम स्तर तक ले जाया गया था।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : पाकिस्तान की ओर से जो विद्रोही कार्यवाहियां हो रही हैं क्या वह काश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिये भारत पर प्रभाव डालने के प्रयोजनार्थ है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** मैं उन से सहमत हूं, परन्तु जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान केवल अब ही नहीं वरन् आरम्भ से ही, जैसे भी उस से बन सके, प्रभाव डाल रहा है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : यदि इन सन्थालों को न्यायालय में पेश किया गया तो हमारी ओर से उन्हें क्या कानूनी मंत्रणा सम्बन्धी सहायता दी जायगी ?

†**श्री दिनेश सिंह :** अभी तक यह मामला न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।

†**श्री यशपाल सिंह** (कैराना) : सरकार अपनी फ्रेंडली टर्म्स दिखलाने के लिये लापरवाह है या यह चीज सरकार के काबू के बाहर है कि इस तरह के वाकयात होते रहते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** आप खुद नतीजा निकाल लीजिए कि सरकार दोनों में से क्या है।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : क्या सरकार ने किसी ऐसे उपाय पर विचार किया है जिस द्वारा पाकिस्तान को यह समझाया जा सके कि भारत के साथ मित्रता की नीति ही सर्वोत्तम रहेगी ?

†**श्री दिनेश सिंह :** मैं नहीं समझता कि भारत की तत्परता पर सन्देह किया जा रहा है। हमने सदैव पाकिस्तान से मित्रता का व्यवहार किया है। इस के समान प्रतिक्रिया दिखाना उन का काम है। उन समस्याओं को तभी सुलझाया जा सकता है जब कि ऐसा करने की दोनों सरकारों की इच्छा हो। अपने राज्य क्षेत्र में इस के अनुसार कदम उठाना पाकिस्तान सरकार का काम है।

श्री ह० च० सोय : अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये संथाल लोग इनएडवरटेंटली वहां चले गए और हमारे तरफ के डिप्टी कमिश्नर ने लिखा है कि इन लोगों को रिलीज कर दिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों का प्रासीक्यूशन होगा, या उनको सिम्पैथेटिकली

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रीट करके लौटा दिया जाएगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस तरह से किडनैपिंग की घटनाएं न होती रहें, क्या इसका कोई इन्तिजाम हो रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है, हम तो इसी कोशिश में हैं कि इन को वापस आने की इजाजत मिल जाए और इन पर कोई मुकदमा न चलाया जाए क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है, गलती से उधर चले गये थे। जो हमारी सरहद पाकिस्तान के साथ है वह ऐसी नहीं है कि फेंस आदि लगा कर उसको ऐसा कर दिया जाए कि आना जाना बन्द हो जाये। पिलर लगा कर डिमारकेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीज होना मुमकिन रहेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : अब जब कि पाकिस्तान सरकार को मालूम हो गया है कि सन्थाल बिना इरादे के सीमा को पार कर गये थे और माल्दा के जिला दण्डाधीश ने उन्हें मुक्त करने के लिये अनुरोध भी किया है, तो पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह स्पष्ट है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई वरना उन्हें मुक्त कर दिया जाता।

†**श्री स० चं० सामन्त** : सन्थालों ने सीमा पार करने के बारे में स्वयं क्या कहा है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : हम उन लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सके परन्तु हमें ऐसा ही मालूम हुआ है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : चूंकि अनुरोध करन पर भी पाकिस्तान सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो क्या सरकार इस मामले को उच्च स्तर तक ले जा रही है ?

†**एक माननीय सदस्य** : इस मामले को भुट्टो-स्वर्णसिंह वार्ता के स्तर पर ले जाना चाहिये।

†**श्री दिनेश सिंह** : यदि आवश्यक हुआ तो निश्चय ही इस मामले को उच्च स्तर तक ले जाया जायेगा।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दू परिवारों का सीमा पार करके त्रिपुरा में आ जाना

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से हिन्दू परिवारों का सीमा पार कर के त्रिपुरा में आ जाना"।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : पहली अप्रैल, को ३८ नहीं ३३ पाकिस्तानी हिन्दू परिवार, जिला नोआखाली में, धर्मपुर गांव से, जो फेनी पुलिस स्टेशन के अधीन है, सीमा पार कर के त्रिपुरा में सिद्धिनगर गांव में, जो बेलोनिया सब-डिवीजन में पूरूरजबाडी पुलिस स्टेशन के अधीन है, आ गये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दिनेश सिंह]

उन्होंने बताया कि उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, और उनके घरों को बहुसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा एक छापे में लूट लिये जाने पर वह सीमा पार कर त्रिपुरा में आ गये हैं। वह छापा पहले से ही संगठित हुआ लगता था। यह परिवार इस समय सिद्धिनगर क्षेत्र में पनाह ले रहे हैं और उन्हें सहायता देने सम्बन्धी कदमों पर विचार किया जा रहा है।

त्रिपुरा प्रशासन ने, इस घटना को पूर्वी पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लाकर, पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के निरन्तर दमन के विरुद्ध एक तीव्र विरोध-पत्र भेजा है। और यह अनुरोध किया गया है कि उस घटना के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को कड़ी सज़ा दे कर उस क्षेत्र में शांतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जाय।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या पाकिस्तान इन परिवारों को अपने घरों में लौट जाने के पक्ष में है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं यह नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वह लोग भी लौट जाने को तैयार हैं अथवा नहीं।

श्री दाजी और स० मो० बनर्जी द्वारा उठाये जाने वाले प्रश्न के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दाजी और श्री स० मो० बनर्जी ने मुझे लिखा है कि वह एक प्रश्न उठाना चाहते हैं। परन्तु मैं उसकी अनुमति तभी दूंगा जब विधि मंत्री भी यहां उपस्थित होंगे। मैं उन्हें कुछ समय दूंगा।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : विधि मंत्री शहर से बाहर गये हुए हैं। उन के ७ तारीख तक लौटने की सम्भावना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री उठाये जाने वाले प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार होंगे ?

†**श्री हजरनवीस** : जी नहीं। मुझे ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य सचेतक द्वारा सूचना ले ली जाय ताकि कोई मंत्री यह उत्तर दे सके।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति

†योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : मैं 'प्रोग्रेस आफ दी थर्ड फाइव ईयर प्लान' (तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १२६१/६३।]

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) (द्वितीय संशोधन) नियम

†**खान और इंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)** : मैं, श्री के० दे० मालवीय की ओर से, कोयला-खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७०९ में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) (दूसरा संशो-धन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२९२/६३]**

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं, श्री ब० रा० भगत की ओर से, सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की जी० एस०आर० संख्या ६४९।

(दो) दिनांक २१ अप्रैल, १९६३ की जी० एस०आर० संख्या ६८२।

(तीन) दिनांक २१ अप्रैल, १९६३ की जी० एस०आर० संख्या ६८३।

(चार) दिनांक २१ अप्रैल, १९६३ की जी०एस०आर० संख्या ६८४।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल. टी. १२९३/६३]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम क अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)**: मैं, श्री अ० म० थामस की ओर से, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १२१० में प्रकाशित चीनी विक्रेता (लाइसेंस का प्रतिबन्ध हटाना) आदेश, १९६१ को रद्द करने वाली दिनांक ४ जनवरी, १९६३ की जी० एस०आर० संख्या ५४।

(दो) चीनी (नियंत्रण) आदेश, १९५५ को गोआ के दमन और दीव, संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करने वाली दिनांक ७ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ४३०।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० १२९४/६३]

मैं भाण्डागार नियम अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ अप्रल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३५ में प्रकाशित केन्द्रीय भाण्डागार निगम नियम, १९६३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० १२९५/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को धुलाई-घर और धुलाई सेवाओं का काम करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने वाली दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६१ की एक-प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—१२९६/६३]

मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९१ की एक प्रति जिस के द्वारा उक्त ऐक्ट को बटन, ब्रुश, प्लास्टिक, प्लास्टिक की वस्तुओं और लेखन सामग्री की चीजों के उद्योगों पर लागू किया गया सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२९८/६३]**

मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) योजना, १९६३।

(दो) डि दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० ६६६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२९८/६३]

कहवा बागान आयोग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर

सरकारी संकल्प

†**श्री नन्दा** : मैं मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों में कहवा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूरों की मजूरी में अन्तरिम वृद्धि करने के बारे में केन्द्रीय कहवा बागान उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में दिनांक ३० अप्रैल, १९६३ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०—३(५३)/६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १२९९/६३]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सचिव, राज्य सभा, से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २२ अप्रैल, १९६३ को पारित किये गये अधि-लाभ-कर विधेयक, १९६३ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २९ अप्रैल, १९६३ को पारित किये गये बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६३ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

संघ राज्य-क्षेत्र शासन विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा ३ मई, १९६३ को श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत निम्न-लिखित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर विचार करेगी :—

"कि कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं और मंत्रि-परिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : कल मैं ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था कि चूंकि यह विधेयक असंवैधानिक है इसलिये यह विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम ३७६ के अनुसार अध्यक्ष को औचित्य के प्रश्न पर विनिर्णय देना होता है। मैंने सभापति महोदय का ध्यान इस की ओर दिलाया था परन्तु उन्होंने आप के विनिर्णय दिये जाने तक इस प्रस्ताव को लम्बित नहीं किया। सभापति महोदय ने स्वयं स्वीकार किया था कि औचित्य का प्रश्न है। मैं अब भी यही कहता हूं कि मेरे औचित्य के प्रश्न का निर्णय नहीं हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो भी व्यक्ति अध्यक्ष पीठ पर आसीन था वह औचित्य के प्रश्न पर विनिर्णय देने के लिये सक्षम था। माननीय मंत्री ने कहा था कि सभापति महोदय इस प्रश्न को अध्यक्ष के विनिर्णय के लिये छोड़ दें परन्तु सभापति महोदय अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहते थे। और फिर माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि "क्या कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है," तो सभापति महोदय ने कहा "जी हां"। मेरे विचार में उनका "हां" कहने का अर्थ यह था कि औचित्य का प्रश्न नहीं है। परन्तु मैं स्वयं फिर रिकार्ड में देखूंगा और यदि मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि वास्तव में कोई निर्णय नहीं दिया गया था तो मैं माननीय सदस्य को यह प्रश्न उठाने का अवसर दूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं इस के लिये आप का आभारी हूं। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है इसीलिये मैं ने कहा था कि आप के विनिर्णय के लिये उस प्रश्न को छोड़ दिया जाय। मुझे विश्वास है कि आप इसकी ओर समुचित ध्यान देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई निर्णय दे दिया गया है तो मैं उस का पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। यदि निर्णय नहीं दिया गया तो निश्चय ही मैं माननीय सदस्य को इसे उठाने का अवसर दूंगा और फिर मैं अपना विनिर्णय दूंगा। मैं अभी अध्यक्षपीठ से उठ कर रिकार्ड देखूंगा।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हजरनवीस) : विधेयक के संवैधानिक अथवा असंवैधानिक होने के बारे में शायद सभापति महोदय का यह विचार था। मैं समझता हूं कि जब कभी किसी प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता का प्रश्न सभा में आता है तो उस का निर्णय सभापति अथवा अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं किया जाता। इस का निर्णय सभा पर छोड़ दिया जाता है। शायद सभापति महोदय का यही विचार था जब उन्होंने सभा की राय जाननी चाही कि वह विधेयक पर अग्रेतर कार्यवाही करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने जो कुछ कहना है वह उस समय सभापति महोदय को कह सकते थे। मैं इस पर विचार करूंगा।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (अम्बलपुजा) : सर्वप्रथम मैं इस बात पर खेद प्रकट करना चाहता हूं कि संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों को इस विधेयक पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। त्रिपुरा से निर्वाचित दो सदस्य नजरबन्द हैं। हमने कई बार सम्बद्ध मंत्री को अनुरोध किया कि उन्हें इस विधेयक सम्बन्धी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाय जिस विधेयक से उन के क्षेत्रों का भविष्य प्रभावित होता है परन्तु हमारी बात को अस्वीकार कर दिया गया। मैं सरकार के इस दृष्टिकोण के लिये खेद प्रकट करता हूं।

दिल्ली को इस विधेयक की सीमा में नहीं लाया गया। दिल्ली में लोकतंत्रात्मक ढंग के प्रशासन के लिये कई बार सदस्यों द्वारा मांग की गई है परन्तु यह बात समझ में नहीं आई कि राजधानी होने पर शायद इस राज्य को लोकतंत्रात्मक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि सरकार शीघ्र ही ऐसा प्रस्ताव लायेगी जिस से दिल्ली को लोकतंत्रीय अधिकार दिये जायेंगे।

कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बद्ध क्षेत्रों से विलय की मांग भी की गई थी, परन्तु सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। पांडिचेरी के अस्तित्व को अलग से बनाये रखने के बारे में जो तर्क प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वह मानने में नहीं आते। गृह मंत्री के कल के भाषण से हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को पड़ौसी राज्यों में मिलाने के विपक्ष में नहीं है। परन्तु जैसा कि उन्होंने कहा कि वह जल्दबाजी में ऐसा करना नहीं चाहते। परन्तु उन के तर्क भी बहुत उचित नहीं थे। मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों के विलय से देश को हर प्रकार से लाभ होगा।

पश्चिमी तट पर लकादीव और मिनिकाय द्वीप हैं, उन में कर एकत्रित करने की प्रणाली बहुत पुरानी चली आ रही है। परन्तु आज स्वतन्त्रता प्राप्ति से १५ वर्ष पश्चात् ऐसी प्रणाली का चालू रखना शरमनाक बात है। इन द्वीपों के लोगों को बाहर जाने और बाहर के लोगों को वहां जा कर बसने पर प्रतिबन्ध है। उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन क्षेत्रों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय।

मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन नहीं कर सकता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि संयुक्त समिति ने इस बारे में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक संयुक्त समिति के पास जाने के पश्चात भी वैसे का वैसा ही है।

मेरा अनुरोध है कि यह विधेयक अधूरा प्रयास है और यह सम्बद्ध क्षेत्रों की आशाओं को पूरा नहीं करता। सरकार एक हाथ से जो कुछ दे रही है दूसरे हाथ से उसे छीन रही है। मैं तर्क दे कर अपनी बात को सिद्ध करूंगा।

हम सर्वप्रथम प्रशासक की शक्तियों और कृत्यों पर चर्चा करेंगे। वह संघ राज्य क्षेत्र में सर्वशक्ति सम्पन्न अधिकारी है। मुझे इन क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों के प्रति सहानुभूति है क्योंकि वे केवल दिखावटी है। तथाकथित प्रजातांत्रिक व्यवस्था और लोकप्रियता तो केवल दिखावा मात्र है। गृह-कार्य मंत्री के कथनानुसार प्रशासक को विधान-सभा भंग करने का अधिकार भी है। गृह-कार्य मंत्री ने उसके समर्थन में जो दलीलें दी हैं वे सर्वथा प्रभाव-

†मूल अंग्रेजी में।

हीन है। स्वयं विधेयक में ही एक ऐसा खण्ड है जिसके अधीन मतभेद की स्थिति में प्रशासक का दृष्टिकोण मंत्रालय के ऊपर रहेगा। स्वतन्त्र भारत में यह एक नूतन विधान है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों और नौकरशाही में मतभेद की दशा में नौकरशाही का मत ही चलेगा। गृह-मंत्री ने आजादी की लड़ाई में जो शानदार भाग लिया था उसे देख कर आश्चर्य है कि वह इस प्रकार का विधान कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हें इसका औचित्य सिद्ध नहीं करना चाहिये; कम से कम उन्हें जनता के प्रति इतनी दया करनी चाहिये।

कुछ ऐसे विभाग भी हैं जिनके बारे में विधान सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है। उन्होंने एक और उपबन्ध रखा है जिसके अन्तर्गत विधान सभा में तीन सदस्य तक नामजद किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? आज भी कई क्षेत्रों में स्थिति यह है कि सत्तारूढ़ दल की स्थिति अत्यन्त नाजुक है।

यदि भविष्य में चुनावों में सत्तारूढ़ दल को ३० में से १३ सीटें प्राप्त हुई तो वे उस स्थिति ३ सदस्यों की नामजदगी कर बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अल्प मत को बहुमत में परिणत किया जा सकता है। इस प्रकार लोकप्रिय शासन में वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। मुझे एक ऐसे राज्य का अनुभव है जहां सत्तारूढ़ दल ने बहुमत न होने की अवस्था में शीघ्र ही एक व्यक्ति नामजद कर दिया। अनुसूचित अथवा अनुसूचित आदिम जातियों की नामजदगी समझने योग्य है किन्तु इस प्रकार की व्यापक शक्तियां देना अवाञ्छनीय है। बहुमत दल को नामजदगी के अधिकार दिये जा सकते हैं। किन्तु वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत तो केवल केन्द्रीय सरकार की इच्छा ही सर्वोपरि रहेगी। खण्ड ३ का उपखण्ड (३) में उपबंध शरारत से परिपूर्ण है। यह कलंक है। आश्चर्य है कि इस विषय में जनता की भावना को नहीं समझा जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कलंक क्या मेरे चेहरे पर है?

†**श्री वासुदेवन् नायर :** जी नहीं। मैं मंत्री महोदय को सम्बोधित कर रहा हूं।

इस विधेयक में यह भी नहीं कहा गया है कि प्रशासक इन संघ राज्य क्षेत्रों में कितनी अवधि के लिये नियुक्त किया जायेगा। क्या १० या १५ वर्षों तक एक ही व्यक्ति इन संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त रहेगा। ऐसा किया गया तो यह बुरी परम्परा होगी। इस स्थिति में निहित स्वार्थ पनपेंगे। सरकार को प्रशासक की अवधि सीमित कर देना चाहिये। इसकी परिभाषा करना चाहिये तथा यह पांच वर्ष से अधिक समय के लिये न हो।

सरकार को भ्रम में नहीं रहना चाहिये। सरकार ने कभी उचित समय पर उचित काम नहीं किया। मुझे विश्वास है कि संघ राज्य-क्षेत्र की जनता इस विधान से संतुष्ट नहीं होगी। इन क्षेत्रों में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के लिये व्यापक आन्दोलन किये गये हैं। मनीपुर में भी एक वृहद् आन्दोलन हुआ था; सहस्रों व्यक्ति जेल गये थे, और कुछ तो गोलियों के शिकार भी हो गये। मौजूदा विधान उनकी यह महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं करता है। इस विधेयक को नया रूप दिया जाये तब ही यह अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि पहले तो पार्ट सी स्टेटस को एबालिस किया गया, उस के बाद उनको फिर लाया गया। आखिर क्यों यह अदल बदल की जा रही है। स्टेटस रिआर्गनाइजेशन कमिशन ने रिपोर्ट की थी कि उन की यह राय थी कि जो नेबरिंग स्टेटस हैं उन में इन को मिला दिया जाय। लेकिन उन की सिफारिशों पर

†मूल अंग्रेजी में

अमल नहीं किया गया। एक तरफ सरकार यह कहती है कि इमर्जेन्सी है, रुपये की कमी है दूसरी तरफ यह है कि जो टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसको फिर से लाया जा रहा है। अगर आप जनतन्त्र को सही मानों में लाना चाहते हैं तो उस के माने तो यह हैं कि वहां पर नामजदगी क्यों हो? नामजदगी इसलिए की जाती है कि जनता की आवाज को दबाया जाय। यहां पर जनता की आवाज दबाई जा रही है। नामजदगी या तो साहित्यकारों की हो, लिटरेरी पर्सन्स की हो या उन लोगों की हो जिन को तहफ्फुज नहीं मिल रहा है या प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर सरकार अपने डिस्क्रीशन पर इस चीज को रक्खे कि जिस को चाहे नामिनेट करे जिसे चाहे न करे, तो यह चीज जनतन्त्र की स्पिरिट के भी खिलाफ होगी।

इस के अलावा हम देखते हैं कि गोआ का एक नया पौधा है। गोआ को हमारे राज्य सभा में कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया गया है। जरूरी था कि गोआ को राज्य सभा में रिप्रेजेन्टेशन दिया जाता, लेकिन वह रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया गया। आज सब से ज्यादा जरूरी चीज यह है कि इस बिल को कम से कम दो साल के लिये मुल्तवी कर दिया जाय। इससे हमारे देश का लाखों रुपया बचेगा। जो भी इस बिल से ऐफेक्टेड स्टेट्स हैं उन की नेबरिंग स्टेटस में मिला दिया जाय। आप यह चाहते हैं कि जो कौंसिल आज बैठी हुई हैं उन्हीं को नामजद कर दें और उन को ही लेजिस्लेचर्स का नाम दे दें। यह चीज सुन्दर नहीं। या तो आप जनरल एलेक्शन कराइये या अगर जनरल एलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन की रिपोर्ट को मान कर उस पर अमल करना चाहिये और इस बिल को दो साल के लिये मुल्तवी कर देना चाहिये। जब इमर्जेन्सी है तो इमर्जेन्सी का खयाल तो हर जगह रखना पड़ेगा। जब कभी हम लोग डेवेलपमैंट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इमर्जेंसी है, जब छोटे मुलाजमीन की तन्ख्वाह बढ़ाने गी बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि इमर्जेन्सी है। कोई भी काम हो उस के लिये आप कह देते हैं कि इमर्जेंसी है लेकिन लाखों करोड़ों रुपये का जो हमारे ऊपर यह खर्च बढ़ाया जा रहा है उस में इमर्जेंसी का खयाल नहीं रक्खा जाता। इस लिये मेरी राय यह है कि एक तो जो आप ने रक्खा है वहां की कौंसिल्स को असेम्बली बनाने के बारे में उस को प्रेजेन्ट मेम्बर्स पर न छोड़ा जाय बल्कि दो तिहाई वोटों पर छोड़ा जाय। दूसरे यह कि स्पीकर को भी यह पावर हो कि जब भी वह देखें कि कोरम कम है तब उस को पूरा करके इस पर वोटिंग ली जाय। जब हमारा देश नया नया जनतन्त्रवादी देश है तो उस के तहफ्फुज के लिये भी आप को उपाय ढूंढना होगा। यहां पर अपनी मर्जी से कोई चीज कर लेने की बात मेरी समझ में नहीं आती।

आज हम देखते हैं कि जब कि पहले हिमाचल प्रदेश पंजाब में दाखिल था तब कोई भी दिक्कत वहां नहीं थी, लेकिन अब वहां पार्टियां हैं। यहां पर हमारे माननीय सदस्य श्री हेमराज बैठे हुए हैं। उन्हें खुद यह शिकायत है कि पहले वह वहां पर पार्टी बाजी के शिकार नहीं थे, लेकिन अब वहां पार्टियां हैं और वे उन के शिकार हैं।

श्री हेम राज (कांगड़ा): मैं तो पंजाब का हूं।

श्री यशपाल सिंह : यहां कई दफे आप कह चुके हैं। मैंने उनकी तकरीर को कोट किया है। बहरहाल सरकार का काम यह है कि वह ४४ करोड़ इन्सानों की बहबदी का खयाल करे। और यह ख्याल करके ४४ करोड़ इन्सानों को एक देश का नागरिक बनाये, अलग अलग पार्टीबाजी और अलग अलग धड़ेबन्दी तथा अलग अलग स्टेट्स बना कर उनको

बिखेरना नहीं चाहिये। मैं तो इस दिन की ख्वाहिश कर रहा हूं जिस दिन अमरीका की तरह से हमारी सारी इंडियन यूनियन एक पालियामेंट के अन्डर हो कर चलेगी। अलग अलग स्टेट असेम्बलीज जितनी होंगी, उतनी ही हमारे देश की सुरक्षा ज्यादा महंगी होती जायेगी। मैं चाहता हूं कि अलग अलग स्टेट्स में जितना रुपया खर्च किया जाता है वह रुपया डिफेन्स पर खर्च किया जाये। आज दुनियां में काम करने के घंटे बढ़ाये जा रहे हैं। आज यहां पर बड़े बड़े अफसरों की तन्ख्वाहें कम करनी चाहियें लेकिन यू० पी० असेम्बली ने अपने मेम्बरान की तन्ख्वाह ७५ रु० माहवार बढ़ा ली है। जो रुपया डिफेन्स में लगाना चाहिये था वह एम० एल० ए० अपनी तन्ख्वाहों में बढ़ा रहे हैं।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिये यह जरुरी है कि इस बिल को जब तक इमर्जेन्सी टाइम है तब तक के लिये मुल्तवी किया जाये और इन छोटी छोटी स्टेट्स को नेबरिंग स्टेट्स में मिला दिया जाय।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** खड़े हुए—

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री सर्राफ भी किसी संघ राज्यक्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : यह खाली यूनियन टेरिटरीज तक कंफाइन्ड बिल तो है नहीं, इसका सम्बन्ध सारे देश से है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह तो नहीं कहा कि दूसरों को मौका नहीं दूंगा। लेकिन यूनियन टेरिटरीज का कोई न बोले, बाकी ही जगह के बोलें, यह भी तो नहीं होना चाहिये। उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिये। मैं औरों को भी बुलाऊंगा।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम) : मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन नहीं कर सकता हूं। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि इस संकट काल में इस प्रकार का विधेयक क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक द्वारा शासन-व्यवस्था का कैसा ही प्रारूप प्रस्तुत किया गया हो कम से कम यह प्रजातांत्रिक नहीं है। यह उत्तरदायी सरकार नहीं है। सरकार को अधिक ईमानदारी का प्रदर्शन कर यह कहना चाहिये कि इस संकट काल में इन संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये उपयुक्त प्रशासन व्यवस्था अत्यंत कठिन है अतः उन्हें इस पर विचार करने के लिये अधिक समय चाहिये। इस प्रकार का कथन आत्म प्रवंचना है कि हम संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रजतांत्रिक शासन-व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। नाम-निर्देशन पद्धति अप्रजातांत्रिक है। नये चुनाव कराये जाना चाहिये। राज्य-क्षेत्रीय पार्षदों को स्वतः विधेयक बन जाने का क्या कारण है ? जो लोग सर्वथा पृथक् आधार पर चुने गये हैं उन्हें पुनः मतदाताओं के सामने जाना चाहिये। यह विधेयक ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। हमारे लिये यह लज्जा की बात है कि स्वतंत्रता आन्दोलन में अग्रणी रहने वाले सत्तारूढ़ दल ने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया है।

संघ राज्य क्षेत्र की जनता को कुछ न देना अधिक श्रेयस्कर होता। उनसे कह दीजिये कि संकट स्थिति में उक्त समस्याग्रस्त क्षेत्रों में कुछ नहीं किया जा सकता है।

†**डा० गायतोंडे** (गोआ, दमन और दीव): कल श्री कामत ने एक संस्कृत श्लोक से अपना भाषण प्रारम्भ किया था, अर्थात् :

विनायकम् प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्

---

†मूल अंग्रेजी में।

सरकार किंवा संयुक्त समिति किसी दैव अथवा मानव की सर्जना करना चाहते थे किन्तु वे केवल एक वानर की रचना ही कर सके। साम्यवादी और स्वतंत्र पार्टी के कुछ सदस्यों ने संस्कृत श्लोक का आश्रय तो नहीं लिया किन्तु उन्होंने भी इसी आशय के विचार प्रकट किये। मैं एक श्लोक में ही इसका उत्तर दे सकता हूं कि :

विनायकम् प्रकुर्वाणो रचयामास विनायकम् ।

हम विनायक की सृष्टि करना चाहते थे और हमने यही किया ।

मैं माननीय गृह-मंत्री के इस विचार से सहमत हूं कि हम छोटे छोटे राज्यों की स्थापना का समर्थन नहीं करते हैं और छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के साथ विलय कर दिया जा जायेगा।

गोआ की वर्तमान राजनैतिक दशा का चित्रण एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत के माध्यम से किया जा सकता है। एक अंग्रेजी फिल्म में तेरह अथवा चौदह वर्षीय किशोरी डायना डबिन के गीत के स्वर इस प्रकार हैं :

> मेरी मलीन अवस्था है, मैं मध्यवर्ती स्थिति में हूं। खिलौनों से मन बहलाने की मेरी आयु बीत चुकी है और अभी मैं इस उम्र में भी नहीं हूं कि किशोर बालकों का मन मोह सकूं।

नाम-निर्देशन का यही कारण है। यह दलित वर्गों के हित में किया गया है। उनकी सांख्यकी उपलब्ध नहीं है। उसमें काफी समय लगेगा।

विलीनीकरण के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर दूं कि गोआ, दमन और दीव एक-दूसरे से दूर काफी छोटे छोटे क्षेत्र हैं उन्हें एकक मान कर शासन व्यवस्था करना दुष्कर है।

सम्पूर्ण विश्व में गोआ की मिसाल नहीं मिलेगी कि जहाँ इतनी कम संख्या में लोगों ने आजादी के लिये इतनी बड़ा कुर्बानियां की हों वहां की जनता में साहस है त्याग है किन्तु प्रचार की भावना नहीं है। ६ लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र से ३००० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। यह आश्चर्यजनक बात है। किन्तु आज उन स्वतंत्रता योद्धाओं की क्या स्थिति है। इसे कोई नहीं जानता है।

वहां की जनता भीरू नहीं किन्तु संकोची हैं। उनमें प्रदर्शन की भावना नहीं है। संभवतः एक युग तक तानाशाही के अधीन रहने के कारण उनमें उक्त मनोवैज्ञानिक भावना पैदा हो गई है। वहां श्री रानाडे को लगभग २० वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। श्री मैसकेन्हा हैं। और भी अनेक व्यक्ति हैं।

राज्य-सभा में गोआ के प्रतिनिधि को एक स्थान देने का जो सुझाव रखा गया है मैं उसके लिये आभारी हूं। गोआ की शासन व्यवस्था में सहसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ढंग की शासन-व्यवस्था को तुरंत एंग्लो-सैक्सन ढंग पर नहीं लाया जा सकता है। दांडिक विधि को तुरंत लागू किया जा सकता है। गोआ में सिविल कोड व्यवहृत किया जाता है इसकी यूरोप के किसी देश के सिविल कोड से तुलना की जा सकती है। हम इसे सम्पूर्ण भारत में लागू करने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। भारतीय विधि के विकास में गोआ का यह योगदान कहलायेगा।

मेरा निवेदन है कि गोआ में प्रचलित कानूनों का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये और फिर उनसे भारत के कानूनों की तुलना की जाये। इस कार्य से काफी लाभ होगा।

†**डा० कोलाको** (गोआ, दमन और दीव): जब यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया तब आम धारणा अनुकूल थी किन्तु बाद में सदस्य इसके समर्थन में इतने अधिक उत्साही नहीं थे। इसलिये संयुक्त समिति में काफी संशोधन प्रस्तुत किये गये।

विधेयक का सम्पूर्ण क्षेत्र दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें राज्य-सूची और समवर्ती सूची के विषय सम्मिलित हैं केवल उन पर कुछ निश्चित प्रतिबंध लगाये गये हैं। यह प्रतिबंध कुछ परिस्थितियों में ही लागू किये जायेंगे और यह आशा की जाती है कि यह अतिरिक्त व्यवस्था यथासमय परित्यक्त कर दी जायेगी और उसके स्थान पर स्वभावत: स्वायत्तता के तरीके पर सामान्य लोकतंत्रीय व्यवस्था निर्बाध रूप में लागू की जा सकेगी।

माननीय राज्य-मंत्री ने राज्य-सभा में कहा है कि इन राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन का मूल उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है अर्थात् इनकी कार्यवाही और विधायनी शक्ति संसद् में विहित है। विधेयक के कई उपबंधों को कृत्रिम रूप से समायोजित किया जाना है। क्योंकि कई विभिन्न प्रदेशों के लिये कोई समान व्यवस्था अपनाना है। राज्य सभा के सदस्य श्री जयरामदास दौलतराम के इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं कि गृह मंत्रालय द्वारा स्थानीय स्थिति का वार्षिक अथवा अर्ध-वार्षिक सर्वेक्षण करना लाभप्रद सिद्ध होगा। गोआ की जनता इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि इस भाग को भारत संघ का एक राज्य बनाने के लिये कदम उठाये जायें। इस आशय की प्रबल मनोवृत्ति गोआ में व्याप्त है।

राज्य-सभा में गोआ का एक प्रतिनिधि होने से अनेक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। दोनों सभाओं म वहां के प्रतिनिधियों को उपस्थिति से समस्याओं का लेखाजोखा करने में सहायता मिलेगी।

गोआ को दूसरी समस्या हमारे उच्च न्यायालय को अक्षुण्ण रखना है। वह भारत में सब से पुरातन उच्च न्यायालय है। वह इस क्षेत्र में न्याय और व्यवस्था की गारण्टी है।

आगामी जनगणना के पश्चात् अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने की समस्या का पुनर्मूल्यांकन किया जाये और जैसा निर्णय किया जा चुका है उस अन्तरावधि में एक सदस्य मनोनीत किया जाये। यद्यपि वहां इस प्रश्न का संरक्षण न करना ही श्रेयस्कर होगा क्योंकि इस उपबन्ध से स्थानीय जनता को विभिन्न वर्गों में कृत्रिम विभक्ति का अवसर पैदा हो जायेगा। कोई विशेष अयोग्यता न होने पर कोई संरक्षण न किया जाये।

में इस विधान का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे हमें अधिक व्यापक और सुनिश्चित रूप में निर्बाध विकास का अवसर मिलेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत ने कल एक औचित्य प्रश्न उठाया था कि संविधान के संशोधित रूप में अनुच्छेद २३९ क के अधीन यह उपबन्ध किया गया है कि हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, गोआ, दमन और दोव, और गोआ के लिये संसद् विधि अन्तर्गत एक निकाय, निर्वाचित अथवा आंशिक मनोनोत और आंशिक निर्वाचित, स्थापित कर सकती है जो संघ राज्य क्षेत्र में विधान

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

मण्डल के रूप में कार्य करेगी और चूंकि स्वयं विधेयक में ही इस आशय के खण्ड हैं कि वर्तमान राज्य क्षेत्रीय परिषद् बनी रहेगी और उक्त संघ क्षेत्रों के लिये विधान मण्डल स्वरूप मानी जायेगी अतः ये उपबन्ध संविधान के विरुद्ध है। श्री कामत भली भांति यह जानते हैं कि अध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व कभी नहीं होता है कि वह यह घोषित करे कि सभा के समक्ष उपस्थित की गई कोई विधि संविधान के विरुद्ध है अथवा नहीं। यहां केवल चर्चा की अनुमति रहती है और सदस्य वृन्द निर्णय करते हैं, निर्णय करना सदस्यों का कार्य है। विधि विरुद्ध होने का प्रश्न न्यायालयों पर आश्रित है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं इसके अतिरिक्त एक और बात की चर्चा कर रहा हूं। उस में अन्तःकालीन पांच वर्ष की अवधि बताई गई है। किसी भी नामज़द विधान मण्डल के लिये पांच वर्ष की अवधि अन्तःकालीन नहीं कही जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष इस विषय का निर्णय नहीं करता है। सदस्यों को संवैधानिक पहलुओं पर विचार करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय इस पर निर्णय कर सकता है। इस प्रकार की कोई पद्धति यहां प्रचलित नहीं है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सभा द्वारा इस विषय पर निर्णय करने में कोई बाधा है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई बाधा नहीं है। मैंने केवल यह कहा है कि ऐसा करना वाच्छनीय नहीं है। और अध्यक्ष सामान्यतया ऐसा नहीं करता है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : यह आश्चर्य की बात है कि प्रजातांत्रिक केन्द्रीय सरकार क्षेत्र विशेष के नागरिकों को उन अधिकारों से वंचित करेगी जो शेष भारत के सब नागरिकों को उपलब्ध हैं। इस सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

ऐसा प्रतीत होता है कि राजनैतिक विवशता के कारण सरकार इस विधेयक को पुरःस्थापित कर जनभावनाएं संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रही है। किसी समय 'ग' श्रेणी के राज्य की जनताओं को जो अधिकार प्राप्त थे यह केवल उनकी पुनरावृत्ति मात्र है। क्या यह दृष्टिकोण उचित है ? इसने व्यापक असन्तोष की भावना उत्पन्न कर दी है। इन क्षेत्रों का प्रशासक यथार्थ प्रयोजनों के लिये वहां का यथार्थ शासक बन जायेगा। यदि इन सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को आप पूरी शक्तियां नहीं देना चाहते हैं तो कुछ समय ठहर कर उन्हें पूर्ण उत्तरदायी शासन-व्यवस्था क्यों नहीं दे देते हैं। हम ने नामनिर्देशन की व्यवस्था का विरोध किया है।

नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या दो से बढ़ा कर तीन कर दी गई है। इसके माध्यम से अल्पमत को बहुमत में परिणत किया जा सकता है। प्रशासक को कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं कि उसके कुछ उत्तरदायित्वों पर विधान सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है। संभवतः ऐसा इसलिये किया गया है कि वे सीमावर्ती क्षेत्र हैं किन्तु विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इस विषय में निर्वाचित प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण मालूम कर निर्णय करने की बात नहीं कही गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासक और मंत्रि-परिषद् मे मतभेद की दशा में राष्ट्रपति को निर्देश किया जायेगा किन्तु राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त होने तक की अन्तरावधि में प्रशासक को आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। जो व्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हैं उसे इस प्रकार की शक्तियां देना उचित नहीं है। इस स्थिति मैं निरन्तर गत्यावरोध बना रहेगा ।

इनकी विधान सभाओं के लिये अविलम्बनीय चुनाव कराये जाना चाहियें । जनता को यह अधिकार दिये जाना चाहियें कि वे उत्तरदायित्व पूर्ण व्यक्तियों का चुनाव करे। ये छोटे क्षेत्र हैं और उन में चुनावों पर अधिक खर्च नहीं होगा । इन राज्य क्षेत्रों में परिषदों के स्थान पर निर्वाचित विधान मण्डल होना चाहिये ।

†**श्री स० तो० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर): मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस के लिये गृह-मंत्री का आभारी हूं। चीनी आक्रमण के समय इतना व्यस्त रहने पर भी उन्होंने संघ राज्य क्षेत्रों की उपेक्षित जनता के कष्ट दूर करने और महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिये समय निकाला है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के फलस्वरूप इन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होगा ।

केन्द्र उक्त क्षेत्रों में घाटे की अर्थव्यवस्था दूर करने के लिये काफी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। किन्तु एक नौकरशाही के अधीन इन्हें स्वतंत्र एकक के रूप में बनाये रखना आज के यग में अनुचित है। संविधान में उपबन्ध है कि राज्य में कुशासन की दशा में केन्द्र को हस्तक्षेप करने का अधिकार है । मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों को पूर्ण उत्तरदायी शासन दिया जाये । इससे गृह-मंत्रालय का भार भी कम हो जायेगा ।

इन के विलय के प्रश्न पर उसी समय चर्चा की जाये जब वहां की जनता इसके लिये इच्छुक हो। मनीपुर और नागालैंड की समस्याएं समान हैं। मनीपुर को भी नागालैंड की भांति पृथक शासन-व्यवस्था दी जाये । जन संख्या, क्षेत्र, आय और अन्य विषयों पर विचार करते हुए मनीपुर को पृथक् राज्य न बनाने का कोई कारण नहीं है ।

संविधान में इस आशय का संशोधन किया जाना चाहिये कि संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाई सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकें । आवंटित निधियां शीघ्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। लोक सेवा आयोग की प्रस्तावित योजना को शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिये।

मेरे भाषण की मुख्य बातें हैं : (१) सब संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों का रूप दिया जाये ; (२) सम्बन्धित राज्य क्षेत्र की सम्मति से ही विलय किया जाये ; (३) विलय शीघ्र हो अथवा देर से किन्तु सुव्यवस्थित नीति के अनुसार किया जाये ; और (४) मनीपुर को नागालैण्ड के समकक्ष बनाया जाये ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का दो मुद्दों पर विरोध करता हूं। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस यूनियन टेरीटरीज़ को आस-पास के बड़े बड़े प्रदेशों में मिला देना चाहिए। मैं आप को बताना चाहता हूं कि जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, वह रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट को कोंकण कहा जाता है और वहां के लोगों को कोंकणस्थ । वहां की भाषा मराठी कोंकणी है और गोआ की भाषा कोंकणी है । इसलिए गोआ को महाराष्ट्र में मिला देना चाहिए था। बल्कि मेरा सुझाव है कि बम्बई से ले कर गोआ तक जो कोंकण पट्टी है, उस को महाराष्ट्र में मिला देना चाहिए था। इस से उस क्षेत्र की इकोनोमिक डेवेलपमेंट में सहायता मिलती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

जहां तक हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर का सम्बन्ध है, स्टेट्स री-आर्गनाइज़ेशन कमीशन ने यह सिफ़ारिश की थी कि उनकी आर्थिक प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि उन को आस-पास की बड़ी बड़ी स्टेट्स में मिला दिया जाये। लेकिन शासन ने ऐसा न कर के वहां की शासन-व्यवस्था के लिये यह बिल पेश किया है। जब एक बच्चा रोता है, तो उस को बहलाने के लिये एक खिलौना दे दिया जाता है। उसी प्रकार इन क्षेत्रों को संतुष्ट करने के लिये यह बिल लाया गया है। हिन्दी में कहते हैं, "मांगने गई थी पूत और खो आई भरतार"। कहते हैं कि एक स्त्री किसी देवता के पास पुत्र मांगने गई, मगर वहां पर उस को ऐसा शाप मिला कि उस को अपना ख़ाविंद खोना पड़ा। यही स्थिति इन क्षेत्रों की हुई है। वहां के लोगों ने मांग की थीं कि हम को पापुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन उस के बजाये उनको अनपापुलर अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस बिल के द्वारा मिलने वाली है। मैं उस को अनपापुलर और अनडेमोक्रेटिक इसलिए कहता हूं कि इस बिल की धारा ५४ में यह व्यवस्था की गई है कि इन क्षेत्रों में इस समय जो कौंसिल हैं, उन को ही लैजिस्लेटिव एसेम्बलीज़ माना जायगा। यह कैसी डेमोक्रेसी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, अंग्रेज चले गए। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, हमारे यहां लोग उस को 'का-अंग्रेज़' कहते हैं, क्योंकि वह भी अंग्रेज़ों की नीति का अनुसरण कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि भारतवर्ष ने अंग्रेज़ों से स्वराज्य मांगा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ी मुश्किल से १९३५ का गवर्नमेंट आफ़ इंडिया एक्ट पास कर के उस को एक खिलौना दे दिया। इस बिल के द्वारा इन क्षेत्रों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की गई है। होल्कर स्टेट का रहने वाला होने की वजह से मुझे मालूम है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी स्टेट में एक पोलीटिकल एजेन्ट मुकर्रर किया था, जिस का काम यह देखना था कि स्टेट ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो काम नहीं कर रही है। वह पोलीटिकल एजेन्ट स्टेट के रोज़ के काम-काज में और शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करता था, जिस के कारण स्टेट इतनी त्रस्त हो गई थी कि वह चाहती थी कि पोलीटिकल एजेन्ट हमारे यहां से चला जाये। आज कांग्रेस शासन इन यूनियन टेरीटरीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्ज़ के रूप में अपने पोलीटिकल एजेन्ट रखने जा रही है।

धारा ५४ में लिखा है कि टेरीटोरियल कौंसिल्ज़ में जो सदस्य चुने हुए हैं, वही लेजिस्लेटिव एसेम्बलीज़ के लिए इलैक्टिड माने जायेंगे। इस का अर्थ तो यह है कि वे दिन को रात माना जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उन लोगों के साथ धोखा करना है, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मांग की है। इसलिए इस बिल में से धारा ५४ को निकाल देना चाहिए। और उसके बदले में यह व्यवस्था करनी चाहिए कि तीन या चार महीने के अन्दर वहां पर इलैक्टिड बाडीज़ के द्वारा डेमोक्रेटिक गवर्नमट दी जायगी। लेकिन इस बिल में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है।

एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में इस बिल में कहा गया है कि उस को डिस्क्रीशन होगी और उस के विषय में उस से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकेगा। यदि मिनिस्टर्ज़ और एडमिनिस्ट्रेटर में कोई डिफ़ेंस हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटर का कहना ही माना जायगा। कब तक माना जायेगा? तब तक माना जायगा, जब तक कि प्रैज़िडेंट अपना मत नहीं दे देता है।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : जब तक एक्ट रहेगा।

श्री बड़े : अणे साहब कहते हैं कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, जब तक वह राज्य करेगा। जब तक एक्ट रहेगा। मैं तो समझता हूं कि आप डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट देने के बजाय एक खिलौना ही उनको देने जा रहे हैं। चाहिये तो दरअसल में यह था कि आज ही इलैक्शन करवा कर छः सात महीने में इन यूनियन टैरिटरीज़ को डेमोक्रेटिक सैट अप देते लेकिन ऐसा न कर के आप उनको एक खोखली सी चीज़ दे रहे हैं। जब कोई किसी चीज़ की मांग करता है तो कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा शो किया जाता है कि जो कुछ दिया जा रहा है, वह बहुत अच्छा है, और ऐसा करते हुए उन के साथ बड़ी मेहरबानी की जा रही है, बड़ी कृपा की जा रही है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह कुछ भी नहीं होता है, खोखली सी चीज होती है।

इस में आप ने एक नामिनेशन का प्राविज़न भी रखा है। नामिनेशन के बारे में हमारा भी कटु अनुभव है। जब हमारे यहां ए, बी, सी, और डी, स्टेट्स थीं तो उस वक्त हमारी स्टेट् बी स्टेट थी। उसने जितने एक्ट बनाये थे, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिये उन सब में यह व्यवस्था की गई थी कि कुछ मैम्बर नामिनेटिड होंगे। नामिनेटिड मैम्बर क्यों रखे जाते हैं, यह अधिकार अपने हाथों में क्यों सुरक्षित रखा जाता है, इसको आप देखें। चूंकि इतने कांग्रेस मैम्बर चुन कर बहुमत से नहीं भाने जायेंगे तो शासक अपनी काम करने लायक मैजोरिटी बना सकें, इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट अपने हाथ में यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि उन मैम्बरों को जो कि उनका साथ दे सकते हों, नामिनेट करवा कर खुद वह मैजोरिटी में आ जायें। जिन किन्हीं को भी नामिनेट किया जाता है वे कांग्रेस का ही साथ देते हैं। जब इन के बारे में शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि कलैक्टर साहब की मार्फत नाम मंगाये गये थे और उन में से ही इन को चुन लिया गया। जो पार्ट बी स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे उनकी तरफ से हमेशा ही इस तरह का जवाब दे दिया जाया करता था कि कलैक्टर साहब ने छः का पेनल भेज दिया था और उन में से ही हम ने तीन को नामिनेट कर दिया है। यही चीज़ अब होने वाली है। इस तरह की गड़बड़ी करके कांग्रेस अपनी मैजोरिटी बना लेती है और उसका नतीजा यह होता है कि म्यूनिसिपैलिटी में कभी भी अपोज़ीशन की मैजोरिटी नहीं हो पाती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो नामिनेशन का इस में प्राविज़न रखा गया है यह बिल्कुल गलत है। इस में इसके सम्बन्ध में जो डाइसेंटिंग नोट दिया गया है, उस से मैं बिल्कुल सहमत हूं। दुर्भाग्य से चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैम्बर होते हुए भी मैं डाइसेंटिंग नोट नहीं दे सका।

आपने इस में एडमिनिस्ट्रेटर जो रखा है और उस को जो यह नाम दिया है, यह किस तरह से से दे दिया है, मेरी समझ में नहीं आता है। आप उस को लैफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दे सकते थे या कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर शब्द ऐसा है जिस में यह ध्वनि निकलती है कि बाई फोर्स बाहर से ला कर उनके ऊपर उसको नियुक्त कर दिया गया है और स्कूल मास्टर सरीखा वह है और अपने हाथ में केन लेकर वह देखता रहेगा कि आया राज्य का काम ठीक चलता है या नहीं चलता है। इस से तो ऐसी ही भावना उत्पन्न होती है। यह बात एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए उचित नहीं है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

सैक्शन ६(२) में कहा गया है कि वह इसको डिसाल्व भी कर सकेगा, कभी भी वह ऐसा कर सकेगा। इस क्लाज़ के अन्तर्गत कब वह डिसाल्व करेगा, कुछ पता नहीं है। जब चाहे वह उसको डिसाल्व कर सकता है, इस प्रकार को जो पावर दे दी गई है यह दरअसल प्राग्रेसिव स्टेट जो कही

[श्री बड़े]

जाती है, उस के लिए अच्छी नहीं है । आपकी तरफ से यह कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको बराबर राज्य दिया नहीं और इसको ले कर आप काफी उसकी टीका टिप्पणी करते थे, लेकिन आज जब कि आपके हाथ में ही ताकत है, आपके हाथ में ही पावर है, और आपने आदमियों को ही आप उसको ट्रांस्फर कर रहे हैं, किसी बाहर वाले को नहीं दे रहे हैं, तब आप क्या उन को देते हैं यह उनका प्रत्यक्ष उदाहरण है । गोआ के लोगों ने तथा दूसरों ने भी हिन्दुस्तान में आने के वास्ते खटपट किया है और अब आपकी तरफ से उन लोगों को यह जो चीज़ दी जा रही है जो कि अन-डेमोक्रैटिक मालूम पड़ती है, यह उचित नहीं है । इस में कोई भी डेमोक्रेटिक एलीमेंट्स नहीं है। दिखाने को तो आप ऐसा दिखाते है कि हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, गोआ आदि प्रदेशों को आप सब कुछ देना चाहते हैं, उन के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लैजिस्लेचर देना चाहते हैं, कैबिनेट देना चाहते ह और साथ साथ उन के ऊपर जबाबदारी डालना चाहते हैं, लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि जो लोग इस का हंसी, मज़ाक और ठट्ठा कर रहे हैं।

यहां पर एक प्वांइट आफ आर्डर उठाया गया था जिस के जवाब में कहा गया है यह प्राविजनल हो सकता है, ट्राजिशनल हो सकता है । लेकिन इस ट्रांजिशनल की क्या आपके पास कुछ व्याख्या भी है या नहीं है । कहीं इस तरह से तो नहीं है कि जब पूछा जाता है कि अमुक कमेटी अपनी रिपोर्ट कब देगी तो जवाब दे दिया जाता है, शीघ्रातिशीघ्र देगी और दूसरी बार जब पूछा जाता है कि कब देगी तो फिर कह दिया जाता है कि शीघ्रातिशीघ्र देगी और इस तरह से दो दो और तीन तीन सालों तक कमेटी की रिपोर्ट आती नहीं है और आप शीघ्रातिशीघ्र की कोई डेफिनीशन नहीं कर पाते हैं,इसी तरह से इसकी कोई डेफीनीशन आप नहीं कर सकते हैं। पांच साल तक अगर यह ट्रांजिशनल पीरियड चलता है तो कौन सी डिकशनरी में यह लिखा हुआ है कि इतने पीरियड तक यह ट्रांजिशनल कहा जा सकता है । अगर आप यहां पालियामेंट मैं खड़े हो कर यह कहते हैं कि यह ट्रांजिशनल प्राविजन है और पांच साल के लिए है तो जैसे मराठी मैं कहा जाता है थोड़ा सा जन-लज्जा का तो आप ख्याल रखें, लोग क्या कहेंगे इसको तो देखें । जो क्लाज ५४ है, इसका में विरोध करता हूं ।

अब मैं स्टट्स रिआर्गनाइजशन कमिशन ने १९५५ मैं अपनी रिपोर्ट मैं जो कुछ कहा था और जो सिफारिश की थी, उसको आपके सामने रखना चाहता हूं । उसने हिमाचल प्रदेश के वास्ते, त्रिपुरा इत्यादि के वास्ते पेज १९८ मैं कहा था :

> "यदि मनीपुर राज्य स्तर के रूप में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का इच्छुक हो तो उसे वृहद् सभा मैं विलंब के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये । इसमें पृथक रूप नहीं रह सकता है ।

इस सारी रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि जो छोटी छोटी टैरिटरीज हैं, इनको पास के बड़े प्रदेशों साथ मिला दिया जाना चाहिये और ए० बी० सी० और डी० का जो भेद है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिये, इसको जो माना नहीं जाता है यह बहुत गलत है, बहुत रांग है । यह सिफारिश १९५५ की है जब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के पद चिन्हों पर है , पद चिन्हों पर चलते हैं, तो यह जो कमिशन ने कहा था कि छोटे छोटे एरियाज जो हैं, ये अनइकोनोमिक हो जाते हैं, इसलिए इनको पास वाली बड़ी स्टेट्स में मिला दिया जाना चाहिये, इसको आप क्यों नहीं मानते हैं । इससे उनकी इकोनोमिक हालत बहुत अच्छी हो सकती है ।

एक आखिरी बात मैं हाई कोर्टस के बारे में कहना चाहता हूं । इस में कहीं यह लिखा हुआ नहीं है कि कौन सी हाई कोर्ट किस के साथ लगेगी मद्रास के पास जो टैरिटरी लगती है, उसके साथ मद्रास की हाई कोर्ट लगेगी तथा महाराष्ट्र की हाई कोर्ट गोआ के लिए भी होगी । इस तरह का कोई भी

प्राविजन इसमें आपने नहीं रखा है । इस तरह का प्राविजन भी आपको रखना चाहिये था । इसका खुलासा होना बहुत जरूरी था ।

मैं इस बिल को दो मुद्दों की बिना पर अपोज करता हूं । पहली बात तो यह है कि आप अन-डेमाक्रेटिक चीज उनको दे रहे हैं, पूरी पावर्ज नहीं दे रहे है, काम करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं और दूसरे यह कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन ने छोटी छोटी स्टेट्स को बड़ी स्टेट्स में मिलाने को जो सिफारिश की थी, उसको आप मान नहीं रहे है, उस पर आप अमल नहीं कर रहे हैं ।

श्री प्रताप सिंह (सिरमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का स्वागत करते हुए मैं इस बिल को इस शक्ल में लाने के लिये माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी को बधाई पेश करना चाहता हूं । मैं ज्वांइट सिलैक्ट कमेटी को भी बधाई देना चाहता हूं कि अब जिस शक्ल में उसने इस बिल को वापिस भेजा है वह बहुत सराहनीय है और इस में जो खामियां थीं, उन में से बहुत सी खामियों को उसने दूर कर दिया है ।

सबसे बड़ी जो खामी इस विधेयक में थी जब पहले पहल यह पेश किया गया था, वह थी कि सैक्शन ४४ के अन्तर्गत एडमिनिस्ट्रेटर को यह अधिकार दिया गया था कि वह काउंसिल आफ मिनिस्टर्ज की बैठकों पर प्रिजाइड करे । इसको हटा कर बहुत अच्छा कार्य किया गया है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं आपको बतालना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रह चुकी है । इस धारा को, जो वहां पहले रखा गया था, ले कर जो जो खराबियां पैदा होती रही हैं, उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं । हम यह भी जानते हैं कि उस वक्त वहां पर चीफ मिनिस्टर के रास्ते में डे-टू-डे एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी बाधाएं पैदा होती थीं । आप उस कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए मैं आपको भी अपनी बधाई पेश करता हूं कि आपने इसको ठीक तरह से इस बिल में रखा है ।

यहां पर यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में धड़ेबन्दी है और इस बिल को अगर दो साल के लिए रोक दिया जाए तो लाखों रूपया बच जायेगा । यहां पर एस० आर० सी० रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है और कहा गया है कि छोटी छोटी स्टेट्स नहीं रहनी चाहिए । जहां तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है मैं कहना चाहता हूं कि जब से लोकतंत्रीय राज्य का ढांचा वहां खत्म हुआ है, वह आगे बढ़ने के बजाय पीछे हो गया है और उसकी प्रगति रूक गयी है । उसके बाद वहां पर जो डिवेलपमेंट होना था वह पूरी तरह से नहीं हो सका । मैं आप का ध्यान एक बात की तरफ ले जाना चाहता हूं । हम देखते हैं कि हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है । उस यूनियन टैरिटरी के पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां के डेवलपमेंट के लिए सड़कें चाहियें । लेकिन वहां की सड़कों का हाल भी अजीब सा है । वहां पर सड़कें बनाई भी गई हैं लेकिन फिर भी जब से वहां पर टैरिटोरियल कौंसिल का ऐडमिनिस्ट्रेटिव का ढांचा लागू किया गया है तब से वहां पर काम सही तरीके से नहीं हुआ है । एक मिसाल से ही वहां की सड़कों का हाल जाहिर हो जाता है । अभी हाल में नैशनल डिफेंस फंड में तहसील रेणका जिला सिरमौर के एक गांव की तरफ से ५०० मन आलू दिये गये । लेकिन सरकार उसे उठाने में नाकामयाब रही । वहां से सरकार आलू उठा कर ला नहीं सकी, इसी से आप समझ सकते हैं कि वहां की सड़कों का क्या हाल है । वहां पर ८ आ० मन आलू बिकता है लेकिन उस को कोई वहां से लाने के लिए तैयार नहीं है । यह हाल हिमाचल की सड़कों का है । इस लिये में समझता हूं कि इस बिल को वहां पर जल्द से जल्द लागू किया जाये ताकि वहां का डेवेलपमेंट सही तरीके पर हो सके ।

इसके अलावा जब हिमाचल प्रदेश में मिनिस्ट्री थी तब वहां बहुत से अच्छे अच्छे कानून बनाये गये जिस से वहां की गरीब जनता को, हरिजनों, शेड्यूल्ड कास्ट्स और पिछड़े तबके के लोगों को बहुत फायदा हुआ ।

[श्री प्रताप सिंह]

"विशाल भूसम्प्रदाओं का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम।"

उस मिनिस्टरी के जमाने में उसे बनाया गया, लेकिन आज उसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां पर वह पड़ा था वहीं पर पड़ा हुआ है। सिर्फ दिखावे के लिये दो चार कैसेज को ले लिया गया है। आज वहां के हरिजनों को, वहां की गरीब जनता की जो दुर्दशा हो रही है उस को कोई सुनने वाला नहीं है, न उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला है। आज यहां पर जो बिल आया हुआ है उस तरह को चीज के लिये हमने बहुत पहले आवाज उठाई थी जब कि वहां पर चीफ कमिश्नर का राज्य था। आज हम लोग बड़े आभारी हैं कि आप की अध्यक्षता में यह बिल यूनियन टैरिटोरीज को डिमाक्रेटिक सेट अप देने के लिये रक्खा गया है।

कुछ साहबान का कहना है कि छोटी छोटी एरियाज को अलग रखना हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है और उन को किसी बड़े राज्य में शामिल कर दिया जाय। मैं आप का ध्यान खास तौर से हिमाचल की तरफ दिलाऊंगा क्योंकि मैं वहां के हालात को जानता हूं। हिमाचल प्रदेश २१ पहाड़ी रियासतों को मिला कर एक लार्ज ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया। वहां के रूलर्स और वहां की जनता कभी भी पंजाब के साथ मिलने के लिये तैयार नहीं हुए, हालांकि वह उसके साथ का इलाका था। जब यह रियासतें मर्ज की गई थीं तो उस वक्त रियासतों के रूलर्स और गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ एक मुआहदा हुआ था जो कि इस बात का सबूत है। आज ही नहीं बल्कि उस वक्त के राजे और महाराजे और वहां की जनता भी नहीं चाहती थी कि उन को किसी दूसरे इलाके के साथ शामिल किया जाय। हिमाचल के रूलर्स और गवर्नमेंट आफ इंडिया के दरम्यान एक मुआहदा ८ मार्च, १९४८ को हुआ था, जिस के जरिये से सारे शक व शुबहे दूर हो जाते है। वह मुआवहदा में थोड़ा सा आप के सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वह इस तरह पर है :

"जब भारत सरकार को यह मंशा हो कि पूर्वी पंजाब के पर्वतीय राज्यों को एक केन्द्र प्रशासित एकक के रूप में एकोबद्ध कर दिया जाये और यथासंभव व्यवहार्य होने पर, भारत के संविधान के उपबन्धों के अधीन, उसके प्रशासन के लिये एक लेफ्टीनेंट गवर्नर, पूर्वी पंजाब पर्वतीय राज्यों के तीन शासक के मिली जुली एक परामर्शदात्री कौंसिल और एक स्थानीय विधान मण्डल से, जिसकी रचना, कृत्य और शक्तियां भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायें।"

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी पीठासीन हुए]

यही नहीं बल्कि वहां की जनता को भी अगर कुछ शक व शुबहे हुए तो उन को दूर करने के लिये सरदार पटेल ने १९४८ में डा० पट्टाभि सीतारमैया, वाइस प्रेजिडेंट आल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कौंफ्रेंस, के पत्र नं० एस० पी० ३९/२८ दिनांक १०–३–४८ के जवाब में १८ मार्च, १९४८ को पत्र लिखा और उस में यह बात साफ कर दी। उन्होंने लिखा :

"अन्ततः उद्देश्य यही है कि हम क्षेत्र को भारत के एक पूर्ण स्वायत्त शासी प्रदेश के समकक्ष स्थान प्रदान किया जाय। उसका विधान किसी भी अन्य प्रदेश के समान होना चाहिये।" यह नहीं बल्कि यहां पर हमारे सामने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। मैं आप की आज्ञा से उसकी ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसमें लिखा है :

"हिमाचल प्रदेश की स्थिति सर्वथा पृथक है। उसे पृथक एकक का रूप प्रदान किया जाना चाहिये।"

जो कुछ मैंने यहां पर कहा उस का मकसद यह है कि हिमाचल आज एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सन् १९४८ में उस की आमदनी सिर्फ ८७ लाख

रुपये थी । मिनिस्ट्री के पहले चार सालों में यानी सन् १९५२ तक उस की आमदनी ८७ लाख रु० से बढ़ कर २ करोड़ रु० तक पहुंची , और आज उस की आमदनी ४ करोड़ रु० से भी अधिक है । वह दिन दूर नहीं जब कि हिमाचल प्रदेश अपने डेवेलपमेंट के जरिये अपने पांवों पर खड़ा होगा और इस हाउस के सामने इस बात की मांग आयेगी और जनता की आवाज के सामने झुकने के लिये गवर्नमेंट मजबूर होगी । कोई वजह भी नहीं है कि जिस तरह से दूसरी रियासतों में है । उसे भी डिमाक्रेटिक सेट अप न मिले । यह मैं हिमाचल के बारे में ही नहीं कह रहा हूं बल्कि जो दूसरी यूनियन टेरिटरीज हैं उन के रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, जैसे कि हिमाचल में बढ़ते जा रहे हैं । उधर से भी आवाज उठेगी जैसे कि आज हमारी मांग है और वह बिल्कुल उपयुक्त है ।

इस मौके पर जब हम उन को डिमाक्रेटिक सेट अप दे रहे हैं तो लाजिमी तौर पर यह जरूरी हो जाता है कि जो उन के छिने हुए हुकूक हैं वे उन को मिलें ताकि उन्हें मौका मिले कि वे अपने पहाड़ी और पिछड़े हुए इलाकों को आगे ला सकें और अच्छी तरह से उन की तरक्की कर सकें ।

आखीर में मैं एक ही बात की तरफ आप का ध्यान दिला कर खतम कर दूंगा । हिमाचल एक बार्डर एरिया है और इस में कोई शक नहीं कि बार्डर एरिया होने के नाते से हमें वहां बहुत सी बातें करनी हैं । मैं मुनासिब समझूंगा, इस हाउस को भी यह सोचना होगा और मिनिस्ट्री को भी इस तरफ ध्यान देना होगा कि वहां पर कहीं कहीं पर जो पाकेट्स हैं, जैसे शिमला है, डलहौजी है, कांगड़ा है जो कि बीच में आ जाते हैं । उन तमाम पाकेट्स को एक में मिला कर विशाल हिमाचल बनाया जाय । खास कर बार्डर एरिया होने के नाते यह बड़ी जरूरी चीज है कि हम मुल्क की हिफाजत कर सकें, दुश्मनों का मुकाबला कर सकें । बिना विशाल हिमाचल के इस काम में रुकावट पैदा हो सकती है । तो जहां हम को सरकार यह सैट अप देने जा रही है वहां इस बात पर भी उसे ध्यान देना होगा कि जो हमारे प्रदेश में पाकेट्स हैं उन को दूर कर के एक बड़ा हिमाचल प्रदेश बनाया जाए ताकि हिमाचल इकट्ठा हो कर पूरा काम कर सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : इस विधेयक के कुछ उपबंध संविधान के विरुद्ध हैं । यदि राज्य क्षेत्र परिषदों के सब सदस्य विधान सभा के सदस्य मान लिये जायें तो यह उपबंध संविधान की भावना के विरुद्ध है । जब कोई विधेयक स्पष्टत: संविधान के अनुच्छेद के उपबंधों के विरूद्ध हो तो उच्चतम न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायिक निकाय के पास गये बिना ही हम इसे अस्वीकार कर सकते हैं ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की अधिकांश जनता इस अपूर्ण विधेयक से प्रसन्न नहीं होगी । इस विधेयक के अधीन उन्हें कोई उत्तरदायी शासन व्यवस्था नहीं दी जा रही है । विगत पन्द्रह वर्षों में सत्तारूढ़ दल की यही प्रवृति रही है । वे स्वयं ही विकेन्द्रीयकरण और प्रथक्ता की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं । वे उस चिकित्सक की भांति हैं जो इलाज की गर्ज से स्वयं ही मरीज में रोग पैदा करता है । इस प्रकार की त्रुटियां पैदा करना कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है ।

यह विधेयक मध्यकालीन अथवा ब्रिटिश राज के पहले की प्रवृति का द्योतक है । इस में प्रशासक को राजा के समकक्ष बनाने का प्रयत्न किया गया है । यदि चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी को एक या दो मत का अन्तर हुआ तो इस विधेयक के उपबंधों के अधीन बहुमत को अल्पमत और अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित किया जा सकता है । आज के प्रजातांत्रिक युग में नाम निर्देशन की प्रणाली विचित्र है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

मैं नाम निर्देशन संबंधी खण्ड का विरोध करता हूं। संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में मैंने इस पर एक विमति टिप्पण भी दिया है।

खण्ड ५४ के अन्तर्गत राज्य क्षेत्रीय परिषदों के सब सदस्यों को विधान सभा के सदस्यों का पद प्रदान किया जा रहा है। इस का अर्थ है कि आप २१ वर्ष की आयु के व्यक्ति को २५ वर्ष की आयु के व्यक्ति में परिणत कर रहे हैं।

†**श्री काशी राम गुप्त** (अलवर) : वैज्ञानिक प्रणाली से यह संभव है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : राजनैतिक दृष्टि से संभव नहीं है, वैज्ञानिक प्रणाली से है।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** : माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि चुनावों में काफी खर्च होगा। पांडिचेरी की जनसंख्या ३,६९,०००; गोआ, दमन और दीव ६,२६,००० ; त्रिपुरा ११,४२,०००; मनीपुर ७,८०,००० ; और हिमाचल प्रदेश १३,००,००० है। यह जनसंख्या एक सब डिवीजन अथवा परगने से भी कम है। संकट स्थिति का कोई प्रश्न नहीं है। उप-चुनाव कराये जा रहे हैं। अतः खर्च की बात करना गलत है। आप स्वयं प्रजातन्त्र के नाम पर इतना विपुल खर्च कर रहे हैं जबकि यथार्थ प्रजातांत्रिक शासन-व्यवस्था नहीं हो रही है। सामान्यतया विधेयक का स्वागत करते हुए मैं इस खंड का विरोध करता हूं। मेरी इच्छा है कि उक्त संघ राज्य-क्षेत्रों ; पूर्ण प्रजातांत्रिक शासन-व्यवस्था हो, वास्तविक प्रजातन्त्र और पूर्ण उत्तरदायी शासन का उद्भव हो।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : बहुधा ऐसा आभास होता है कि हमारी संघात्मक व्यवस्था जातीय व्यवस्था है। सच तो यह है कि जाति-व्यवस्था को ही संवैधानिक रूप दे दिया गया है। हमने ऐसे विधान बनाये हैं जिनसे जाति-व्यवस्था का स्वरूप बदल गया है। संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार का दृष्टिकोण ब्रिटिश दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। विदेशी सरकार की यह भावना थी कि संघ राज्य क्षेत्रों की जनता क्रमशः स्वशासन के अधिकार प्राप्त करेगी। वर्तमान विधेयक से इस बात का पता चलता है कि सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों की जनता की स्वशासन-क्षमता में अविश्वास है। इस विधेयक में प्रतिनिधि अथवा उत्तर दायी या लोकप्रिय सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में कोई गारंटी नहीं दी गई है। प्रादेशिक परिषदों का गठन, उन का स्वतः राज्य विधान सभाओं में बदला जाना और उन के परम्परागत स्वरूप का बना रहना प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। इस में मौजूदा अभावग्रस्त स्थिति की शाश्वति का प्रयत्न किया गया है। विमति टिप्पणों में यदि इस की निन्दा नहीं की गई है तो सर्व सम्मति से विरोध अवश्य किया गया है। इन क्षेत्रों के योग कानून की दृष्टि में समान नागरिक हैं और सब एक ही संविधान से शासित हैं। इस विधेयक की पूर्ण जांच करने की आवश्यकता है। इसे पूर्ण प्रजातंत्रीय स्वरूप दिया जाना चाहिये।

†**श्री मान सिंह पृ० पटेल :** (मेहसाना) : नामनिर्देशन का उपबन्ध सर्वथा अनुचित है। किन्हीं हितों को ध्यान में रख कर ऐसी व्यवस्था की गई है तो हमें पूर्णत इसका बहिष्कार नहीं करना चाहिये। गृह मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि किन्हीं व्यक्तियों अथवा दलों विशेष के हित साधन में इन उपबन्धों का दुरुपयोग न किया जाये। इस दिशा में प्रशासक द्वारा ऐसे व्यक्तियों के नामों की सिफारिश नहीं करना चाहिये जिन से पक्षपात का आभास हो। परिषदों को विधान सभा की हैसियत प्रदान करने की मौजूदा व्यवस्था संविधान के विरुद्ध है अथवा नहीं इस का निर्णय तो न्यायालय कर सकते हैं किन्तु समग्र खण्ड को ध्यान में रखते हुए यह संविधान के विरुद्ध नहीं प्रतीत होता है। सरकार को हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्रीय परिषद में अब और सदस्य का नाम निर्देशन नहीं करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को इन राज्य क्षेत्रों का पड़ौसी राज्यों के साथ यथा संभव शीघ्र विलय करना चाहिये । कम से कम तटवर्ती क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के बारे में ऐसा करना तुरन्त आवश्यक है। छोटे छोटे और अस्थिर क्षेत्रों को दीर्घ अवधि तक पड़ौसी राज्यों में विलय न करना अवांछनीय है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर) : अनेक सदस्यों ने सभा में कई बार मांग की है कि उक्त राज्य क्षेत्रों का पड़ौसी राज्यों में विलय कर दिया जाये। वे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें उदघृत करते हैं। कुछ नये राज्य बनाये गये हैं --नागालैण्ड, गुजरात और महाराष्ट्र। संघ राज्य क्षेत्रो के विलीन की सिफारशें रद्द कर दी गई हैं। अतः अब इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। माननीय गृह मंत्री ने भी कहा है कि अन्ततः इन क्षेत्रों का विलय असंभव नहीं है। इन क्षेत्रों का विलय संभव नहीं है। इस आशय की धमकी उचित नहीं है। जब वहां की जनता स्वेच्छा से इस की मांग करे तब इसे भले ही किया जा सकता है ।

इस विधेयक में संरक्षण संबंधी खण्ड अत्यन्त आवश्यक है। आजकल गैर आदिम जाति लोग वहां काफी संख्या में बस रहे हैं और किसी भी समय कोई धनी व्यक्ति भावी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। और इस प्रकार गैर-आदिम जाति व्यक्ति आदिम जातियों का प्रतिनिधि धन अथवा अनुचित युक्ति से बन सकता है। अतः संरक्षण सम्बन्धी खण्ड का स्वागत है ।

संयुक्त समिति में कहा गया था कि अनुसूचित आदिम जातियों आदि के लिये जो चुनाव में सफल नही हो सकते हैं नामनिर्देशन का उपबन्ध किया जाना चाहिये। किन्तु विधेयक में इस प्रकार कोई उपबन्ध नहीं है। उपबन्ध में कहा गया है कि केवल सरकारी पदाधिकारी का नामनिर्देशन नहीं किया जा सकता है। उस का अर्थ है कोई भी व्यति नाम निर्देशित किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति अधिकारियों की सम्मत्ति में अच्छा है उसी का नाम निर्देशन किया जा सकेगा ।

मनीपुर के आदिम जाति क्षेत्र में अनेक समस्यायें हैं। इस की स्थिति नागालैण्ड से भिन्न है । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें नागालैण्ड के समकक्ष नहीं रखा गया है।

मनीपुर की पुरातन प्रणाली में प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत प्रादेशिक परिषद् और एक वत्त होता था: आज वह सब समाप्त हो गया है। सरकार को पुनः उन्हें स्थापित करना चाहिये। मनीपुर की वर्तमान व्यवस्था के अधीन यदि स्थायी समिति और विधान सभा के बीच मतभेद की स्थिति में प्रशासक ही निर्णय करेगा। अतः इस की शक्तियां व्यापक होनी चाहियें। आदिम जाति जनता आज मुकद्दमेबाजी के कारण काफी निर्धन हो गई है। इस विषय की जांच करना चाहिये।

प्रशासक को वित्तीय, विधान सम्बन्धी, न्यायिक, अर्द्ध-न्यायिक व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रशासक को यह शक्तियां दुर्लभ अवसरों पर प्रयुक्त करनी चाहिये तथा उन अवसरों पर भी मंत्रि-मण्डल से परामर्श करने के बाद ही ऐसा करना चाहिये ।

†**श्री सोनावने** (पंढ़रपुर) : इस विधेयक में निर्बल वर्गों के लिये अधिकारों का उपबन्ध करने के लिये मैं संयुक्त समिति का आभारी हूं। जो सदस्य इस का विरोध कर रहे हैं संभवतः वे परि-स्थितियों से अनभिज्ञ हैं। कदाचित वे अपने ही स्वार्थ की दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं। मेरा तो यह विश्वास है कि संरक्षण की व्यवस्था कर संयुक्त समिति ने उचित कार्य किया है।

विधेयक के खण्ड ३ के उपखण्ड (४) में कहा गया है कि गोआ दमन और दीव के अतिरिक्त और सब राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदम जातियों के लिये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोनावने]

स्थान सुरक्षित होंगे। किन्तु यह अनुचित है। वहां भी इन जातियों के लिये स्थान सुरक्षित किये जाने चाहियें।

यह कहा गया है कि कुछ लोगों को नामनिर्देशित किया जायेगा। किन्तु यह प्रकट नहीं है कि इन नामनिर्देशित लोगों में अनुसूचित जातियों अथवा आदिम जातियों के भी व्यक्ति होंगे। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है कि वह इस बात का, विशेष ध्यान रखेंगे कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के व्यक्ति चुने जायें। किन्तु केवल कहना ही पर्याप्त नहीं है विधेयक में ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिये।

यह ठीक है कि छोटे राज्यों में पृथक मंत्रालयों आदि की स्थापना का व्यय वह राज्य सहन नहीं कर सकेंगे। दूसरी ओर वहां के लोगों की स्वायत्त शासन प्राप्त करने की भी इच्छा है। इस विधेयक द्वारा सरकार ने एक बीच का मार्ग अपनाया है। किन्तु यह अधिक काल तक नहीं चलना चाहिये। मैं समझता हूं कि कुछ समय के पश्चात् इन राज्यों को पड़ौसी राज्यों में मिला दिया जाये।

डा०मा० श्री अणे (नागपुर): इस विधेयक के सम्बन्ध में काफी विवाद उठ खड़ा हुआ है। यह कहा गया है कि विधेयक प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। क्योंकि यह ऐसे राज्य का निर्माण कर रहा है जिस के पास स्वायत्त शासन की शक्ति नहीं है। किन्तु मैं समझता हूं पुराने संविधान में तो ऐसा उपबन्ध था कि भारत सरकार द्वारा कुछ राज्य क्षेत्रों का शासन किया जा सकेगा। चाहे यह काल थोड़ा हो या अधिक। इसलिये केन्द्र शासित प्रदेश स्थापित करना संविधान के विरुद्ध नहीं है।

इस विधेयक द्वारा कुछ पुरानी विधियों के स्थान पर उन प्रदेशों के लिये कुछ नई विधियों और संविधान की रचना की गई है। अब उन का स्तर कुछ राज्यों के समान किया जा रहा है जब कि पहले वह केन्द्र शासित प्रदेश मात्र थे। अब बहुत काफी सीमा तक अपने कार्यों का प्रशासन वह स्वयं ही करेंगे। इस प्रकार उन्हें इस विधेयक द्वारा पहले से अधिक शक्तियां दी जा रही हैं।

यह भी आलोचना की जा सकती है कि यह काम करने का पुराना ढंग है। ब्रिटिश सरकार ने भी द्वैध शासन स्थापित करके यही कहा था कि आप धीरे धीरे शासन करना सीखिये। तब आप को शनैः शनैः अधिकाधिक शक्तियां दी जायेंगी। भारत सरकार भी उन क्षेत्रों के साथ ऐसा ही कर रही है। मैं समझता हूं कि यह आरोप उचित है।

एक और विचारणीय बात है। सरकार इस समय उप-चुनाव आदि करवा कर और बहुत सी अन्य बातों से ऐसा आभास दे रही है जैसे आपात काल समाप्त हो गया हो। यह ठीक नहीं है।

इन में से बहुत से क्षेत्र सीमान्त पर स्थित हैं। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सीमान्त क्षेत्र स्थित प्रदेशों का प्रशासन कुछ विशेष ढंग से होता है। इसलिये यदि वहां की प्रशासन पद्धति में यदि दूसरे राज्यों से कुछ भिन्नता है तो हमें यह देखना है कि क्या आपात काल को देखते हुए यह आवश्यक है? यदि इस की आवश्यकता प्रतीत हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहिये कि उन्होंने इसलिये यह शक्तियां अपने हाथ में रखी हैं कि जिस से शत्रुओं के आदमी वहां गड़बड़ी न कर सकें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मैं इसी दृष्टिकोण से इस विषय की ओर देखता हूं। अन्य लोगों की तरह केवल आलोचना के लिये ही आलोचना नहीं करता। इस विधेयक में दी गई ५ वर्ष की समय सीमा अधिक है। इस के भीतर ही वहां पूर्ण रूप से स्वायत्त शासन स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया तो वह सारा असन्तोष समाप्त हो जायगा और सरकार को जनता का हर प्रकार का सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री डा० एरिंग)** : मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं, वहां के लोग इस विधायी शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात् अपने क्षेत्र का शासन अधिक कुशलतापूर्वक कर सकेंगे ।

मैं यह भी निवेदन करता हूं कि नेफा क्षेत्र का प्रशासन भी वैदेशिक-कार्य संत्रालय के अधीन न हो कर गृह-कार्य मंत्रालय के ही अधीन होना चाहिये ।

नेफा का प्रशासन एक राज्यपाल द्वारा होता है जो प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है उस के अधीन सलाहकार और दूसरे अधिकारी आदि होते हैं। वहां पर पंचायती राज्य की व्यवस्था भी है। किन्तु इसे अधिक शक्तियां दी जानी चाहियें। अधिकारी वर्ग प्रक्रियाओं आदि से बंधा होने के कारण अधिक कार्य नहीं कर सकता। इसलिये वहां के स्थानीय लोगों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहियें ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर उन्हीं बातों को दोहराने की आज्ञा चाहता हूं जो मैंने इस सभा में प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा करते समय कही थीं, क्योंकि जिन आपत्तियों का मैंने निराकरण कर दिया था और जिन शंकाओं का मैंने समाधान कर दिया था वही फिर से उठाई गई हैं। "प्रशासक" शब्द पर आपत्ति उठाई गई है और यह कहा गया है कि इस विधेयक में यह शब्द हीन भावना को दिखाने के लिये, यह दिखाने के लिये कि इन क्षेत्रों की प्रतिष्ठा शेष भारत से कम है, प्रयुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में हमारे करने के लिये कुछ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद २३६ में कहा गया है कि :

> "जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले प्रशासक के द्वारा, जिसका पद-नाम भी वही उल्लिखित करेगा, कार्य करेगा ।"

इस प्रकार संविधान द्वारा उस क्षेत्र के प्रशासन के लिये माध्यम के रूप में एक शासक का उपबन्ध किया है ।

संयुक्त समिति में भी इस प्रश्न पर बहस हुई थी कि इनका पद नाम प्रशासक रखे जाने की प्रथा चालू रखी जाये अथवा नहीं। उन्होंने यह सोचा कि विधेयक के मूल स्वरूप के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें किसी बात की शंका की आवश्यकता नहीं है। किन्तु संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रशासक को ऐसे पदनाम द्वारा, जिसका राष्ट्रपति उल्लेख करे, नियुक्त किया जा सकेगा। इसके अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल से लेकर प्रशासक तक कोई भी पदनाम रख सकता है। इसलिये संयुक्त समिति में इसमें एक छोटा सा संशोधन कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा यह कहा गया कि शब्द 'प्रशासन' का प्रयोग इसके सामान्य अर्थों में नहीं अपितु अनुच्छेद २३६ में प्रयुक्त अर्थों में किया गया है और प्रशासक इसी अनुच्छेद के अधीन नियुक्त किया जायेगा। अनुच्छेद २३६ के अनुसार वही पदनाम रखा जायेगा जिसका राष्ट्रपति उल्लेख करे। निश्चय ही स्थानीय विधान सभा में, स्थानीय प्रतिनिधि इस बात का सुझाव दे सकेंगे कि वह कौन सा पदनाम पसन्द करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इन सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

इस सम्बन्ध में डा० सिंघवी ने कुछ बातों का उल्लेख किया था और श्री बड़े ने भी कहा था कि आखिर आप एक प्रशासक ही तो नियुक्त कर रहे हैं, जैसे हम किसी ऐसे क्षेत्र में जो भारत का अंग नहीं किसी गैर-जिम्मेदार अधिकारी को भेज रहे हैं। जैसे उन क्षेत्रों की प्रतिष्ठा कम हो और वहां के लोगों का स्तर भी नीचा हो, और इसी कारण हमने 'प्रशासक' शब्द चुना है। मैं फिर भी यही कहूंगा कि हम उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसका प्रयोग स्वयं संविधान में किया गया है।

डा० सिंघवी समझते हैं कि हम अब भी राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर ही कार्य करते हैं। यह सच है कि आरम्भ में संविधान 'क' श्रेणी 'ब' श्रेणी के राज्यों की व्यवस्था थी। इसके बाद विधि द्वारा हमने 'ग' श्रेणी के राज्यों का निर्माण किया और उन्हें भी शासन सम्बन्धी अधिकार दे दिये। किन्तु पिछले १५ वर्षों में इस वर्गीकरण को समाप्त करने के कार्य में काफ़ी प्रगति हुई है। अब 'क' श्रेणी और 'ख' श्रेणी के राज्य नहीं केवल राज्य ही हैं। संविधान में भी अब केवल राज्यों का ही उल्लेख है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यद्यपि इन प्रशासनों को लगभग राज्यों के समान ही शक्तियां दे रहे हैं, तथापि, यह संविधान के अनुसार पूर्ण रूप से राज्य नहीं हैं। संविधान के अधीन राज्यों का निर्माण करने के हेतु हमें अनुच्छेद ३ के अधीन विधान बनाना होगा। अभी हम अनुच्छेद २३९क के अधीन स्थानीय प्रशासन का ही निर्माण कर रहे हैं।

यहां मुझे उस दूसरी आलोचना की याद आती है जिसके विषय में सभा के बहुत से सदस्यों ने समर्थन व्यक्त किया है। यह कहा गया है कि प्रस्तुत विधेयक प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के विरुद्ध है, और यह कि यहां पूर्ण प्रजातन्त्र नहीं है। मैं इस आरोप का खंडन करता हूं, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण रूपेण प्रजातन्त्रीय व्यवस्था है, वहां से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वह प्रतिनिधि इस सभा में बैठे हुये हमारे सुयोग्य सहयोगी हैं और यह सारी सभा उन राज्य क्षेत्रों की ओर से काम करने वाली विधान सभा है। मनीपुर अथवा त्रिपुरा के किसी नगरपालिका के प्रश्न पर, हिमाचल प्रदेश में फैली हुई किसी महामारी के प्रश्न पर अथवा त्रिपुरा में कर लगाये जाने के प्रश्न पर, इन सब प्रश्नों के सम्बन्ध में हम लोग ही विधान बनाते हैं। जब भी यह कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में प्रजातन्त्रीय शासन पद्धति नहीं है उस समय हम उन क्षेत्रों के लिये प्रजातन्त्रीय विधान मण्डल के रूप में काम करने की अपनी स्वयं की योग्यता के विषय में सन्देह व्यक्त करते हैं।

किन्तु मैं इस तर्क को स्वीकार करता हूं कि शेष देश के प्रति हमारा इतना बड़ा उत्तरदायित्व है और हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम इन क्षेत्रों पर समुचित रूप से ध्यान और समय नहीं दे सकते, इसलिये हमें 'क' श्रेणी के राज्यों के स्तर पर ही उन्हें स्वायत्त शासन सौंप देना चाहिये। और यदि यह तर्क प्रस्तुत किया जाये कि उन्हें पर्याप्त रूप से स्वायत्त शासन नहीं सौंपा है तो मैं स्वीकार कर लूंगा। किन्तु यह कहना कि वहां प्रजातन्त्र नहीं है, बिल्कुल गलत है।

मान लिया जाये कि प्रशासक कार्य-संचालन करता है। वह गैर-जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। वह राष्ट्रपति के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति है और सरकार के कार्य-विभाजन के अनुसार गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्रशासक द्वारा किये जाने वाले कार्य के लिये गृह कार्य मंत्री सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। जैसा कि मैंने कहा यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र में महामारी फैल जाये, यदि कोई सब-इन्सपैक्टर दुर्व्यवहार करे, यदि किसी व्यय की वसूली न हो, तो इन सब बातों के लिये गृह कार्य मंत्री ही उत्तरदायी है। सभा में उन्हीं से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा।

किन्तु यह तर्क उचित है कि सभा पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकती । कुछ स्थानीय समस्यायें हैं जिन पर स्थानीय दृष्टिकोण से ही विचार करने और स्थानीय रूप से ही उनका समाधान करने की आवश्यकता है । और विधेयक द्वारा इस स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वायत्त शासन की मांग पर ही विचार किया जा रहा है ।

अब मैं खंड ४४ पर आता हूं । किसी ने कहा था कि कार्यपालिका का निर्माण करने और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की इस कार्यपालिका को शक्ति देने के बाद भी हस्तक्षेप करने की शक्ति हमने अपने पास रख ली है । वैधिक रूप से यह निर्वचन बिल्कुल ठीक है कि यदि कोई बात हो, यदि वह कितनी ही छोटी बात है और यदि भारत सरकार हस्तक्षेप करना चाहे तो वह कर सकती है । पर प्रश्न यह है कि क्या वह ऐसा करेगी ? मैं सरकार के उत्तरदायित्व को, उसकी नीति को, जिस पर कल गृह-कार्य मंत्री ने प्रकाश डाला था, समझ सकता हूं और इस विधेयक को प्रस्तुत करने का हमारा ध्येय यह है कि इन उपबन्धों के प्रयोग का कोई अवसर उत्पन्न न हो ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : फिर ऐसा उपबन्ध किया ही क्यों जा रहा है ?

†**श्री हजरनवीस** : मैं उसका भी कारण बताऊंगा । अपनी ओर से और सरकार की ओर से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जब यह विधेयक अधिनियम बन जाये, तक, इसको उस सीमा तक सार्थक समझा जाये जिस सीमा तक इसके उपबन्धों का प्रयोग न हो । मैं डा० अणे के समान ही आशा व्यक्त करता हूं कि ५ वर्ष की अवधि में लोग यह कहने लग जायें कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । किन्तु मैं तो यह आशा करता हूं कि इन ५ वर्षों में भी मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं आयेगा ।

डा० कोलाको ने मेरे भाषण के कुछ उद्धरण पढ़ कर सुनाये थे । मैंने कहा था कि हमारा इरादा यह है कि अधिकाधिक स्वतन्त्रता दी जाये । हमारा इरादा यह नहीं है कि शक्तियां दे देने के बाद और स्थानीय प्रशासन स्थापित करने के बाद भी हम छोटी-छोटी बातों के विषय में सभा के प्रति उत्तरदायी हों । हमें सभा में यह कहना चाहिये कि मंत्रि परिषद पूर्णतया उत्तरदायी है, कि वह अपने प्राधिकार और विवेक से ही कार्य कर रहे हैं, चाहे मेरा मत उनसे भिन्न ही क्यों न हो । जैसा कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कहा था : "गलती करना उनका अधिकार है ।" गलती करना उनका अधिकार है, किन्तु यदि कभी ऐसी परिस्थिति उठ खड़ी हुई, जैसी केरल में हुई थी, जहां संविधान की कार्यान्विति, लोगों का सामान्य जीवन यापन असंभव हो गया था और जब राज्य के अधीन कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं थी । ऐसी परिस्थितियों में हमने क श्रेणी के राज्यों में हस्तक्षेप किया था । इसी प्रकार हम ऐसे क श्रेणी के राज्यों में भी जहां प्रजातन्त्रीय व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती, जहां विधान मंडल कार्य नहीं कर सकते, हस्तक्षेप कर सकती हैं ।

मैं सभा के सम्मुख कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा । हम सभा को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह देश के हित में ही है । हम अपने भाइयों को उनका स्थानीय प्रशासन चलाने की शक्ति दे रहे हैं जैसा कि मेरे राज्य अथवा श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के राज्य में हो रहा है । इसी प्रकार यह लोग भी राज्य सूची और समवर्ती सूची के सम्बन्ध में स्वयं अपने स्वामी होंगे । १९६२–६३ का ही बजट लीजिये । उससे कुछ समस्यायों की जानकारी हो जायेगी । हिमाचल प्रदेश में राजस्व ४३२.८१ लाख रुपये और व्यय २१ करोड़ ५६ लाख रुपये है । इस प्रकार १७ करोड़ २३ लाख रुपये की कमी है । उस रुपये के लिये हमें सभा से कहना पड़ता है और इसीलिये हम सभा के प्रति उत्तरदायी भी हैं । मान लिया कि यह रुपया उचित रूप से खर्च नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

किया जाता, व्यर्थ के कार्यों में व्यय किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में हम हस्तक्षेप करेंगे। हमारा यही उत्तरदायित्व है।

इसी प्रकार मनीपुर का राजस्व ७९ लाख रुपये और व्यय ९०४ लाख रुपये है। इस प्रकार यहां ८२४ लाख रुपये की कमी है। इस प्रकार प्रशासन का लगभग सारा व्यय केन्द्र द्वारा ही किया जाता है। इसलिये हस्तक्षेप करना अनुचित भी नहीं है। इस विधेयक द्वारा, हम उन्हें कार्य करने की शक्तियां दे रहे हैं, किन्तु यदि कार्य-संचालन में कोई रुकावट हुई तो हमें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा।

इसी प्रकार त्रिपुरा के बजट में १०९३ लाख रुपये, गोआ में ७६ लाख रुपये और पांडिचेरी में १५४ लाख रुपये की कमी है। इस प्रकार जब केन्द्र इन क्षेत्रों पर इतनी बड़ी राशि व्यय कर रहा है तो उसे अवश्य अपने हाथों में कुछ शक्तियां रखनी चाहियें। हम चाहते हैं कि दिन-प्रतिदिन के प्रशासन कार्यों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर न रहे। यदि इस क्षेत्र की कानून और शांति से संबंधित किसी घटना में ध्यान आकर्षित करने वाली सूचना है तो हम यही कहेंगे कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं अपितु मंत्रि-परिषद् की है और इस विषय को उन्हीं के सामने उठाना चाहिये। किन्तु यदि मैं अथवा भारत सरकार इस में हस्तक्षेप करने भी लगे तो भी कोई यह नहीं कह सकता कि कोई गैर-जिम्मेदार व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है। क्योंकि जो कोई भी हस्तक्षेप करता है वह राष्ट्रपति की ओर से ही करता है। इस प्रकार इस सभा की भी जिम्मेदारी हो जाती है। जिम्मेदारियां स्थानीय अधिकारियों की ही होंगी और जो जिम्मेदारियां उन्हें नहीं सौंपी जा सकतीं वह हमारे पास रहेंगी।

जैसा कि मैं ने कहा था इस में किये जाने वाले उपबन्ध का कोई मूल्य नहीं है। डा० अणे ने कहा था कि ५ वर्ष के बाद लोग अधिक शक्तियां चाहेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो।

मैंने अपने भाषण में कनाडा के संविधान का उल्लेख किया था। गत ८० वर्षों से उस में कोई संशोधन नहीं किया गया है। वहां राज्यपालों और उप-राज्यपालों को काफी शक्तियां दी हुई हैं। वह हस्तक्षेप भी करते थे और निषेधाधिकार का प्रयोग भी। किन्तु स्थानीय स्वायत्त शासन के बढ़ते ही, उपनिवेशवाद को समाप्त करके उसी अधिनियम के अधीन अब वह स्वयं शासित राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार मुझे आशा है कि, जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है, आगे स्थापित होने वाला स्थानीय प्रशासन यह अनुभव करेगा कि उन क्षेत्रों और प्रदेशों के विकास के हित के अतिरिक्त वहां और किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। हम क्षेत्रों में काफी रुपया खर्च कर रहे हैं जिससे वहां के लोगों का स्तर पड़ौसी क्षेत्रों के लोगों के समान हो जाये और उनका राजनैतिक और आर्थिक स्तर देश के अन्य भागों के समान ही हो जाये।

श्री रिशांग किशिंग ने विलय का कड़े शब्दों में विरोध किया था। कुछ अन्य सदस्यों ने हमारी इस बात के लिये तीव्र आलोचना की है कि हम ने विलय के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को अब तक क्यों नहीं माना। विरोधी पक्ष ने इस प्रकार दो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण अपनाये हैं। हमारी इच्छा, जैसा कि कल गृह-कार्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था, यह है कि विलय होना आवश्यक है। और हम प्रस्तुत विधेयक को अथवा वर्तमान परिस्थितियों को इस प्रकार चालू नहीं रखेंगे कि लोग पृथक रहने में ही अपना हित समझने लगें। उन लोगों का यह भय दूर करने के साथ ही कि पड़ौसी राज्यों से विलय किये जाने पर उनका शोषण नहीं होगा

†**श्री काशीराम गुप्त :** क्या इस के लिये कोई समय-सीमा रखी है ?

†**श्री हजरनवीस :** नहीं। माननीय सदस्य और श्री रिशांग किशिंग की बात का यही उत्तर है कि प्रत्येक मामले का उसके गुणदोषों के आधार पर ही निर्णय करना होगा। श्री रिशांग किशिंग की दृष्टि में पड़ौसी राज्यों से विलय होने के पश्चात् उन क्षेत्रों का भविष्य अनिश्चित हो जायेगा। उनका यह भय उचित नहीं है। हम लोग न इस कार्य में शीघ्रता करेंगे न किसी प्रकार का बल-प्रयोग। कुछ अन्य क्षेत्रों की स्थिति भी एक दूसरे के समान ही है। वहां विलय और क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से होगा। यही हमारा ध्येय है। हम स ध्येय की ओर ही बढ़ेंगे; किन्तु बिना किसी प्रकार का बल प्रयोग किये ही। इस प्रजातंत्रीय राज्य में जनता की भावनाओं, उनकी इच्छा और सम्मति का आदर करते हैं।

विधेयक का सब से महत्वपूर्ण अंग खंड ४४ है विधान और कार्यपालिका बनाने के बाद यह देखा जायेगा कि वह कितनी कार्यकुशल है।

दूसरे विषयों के सम्बन्ध में मैं सम्बन्धित खंडों पर बोलते समय ही चर्चा करूंगा।

†**श्री काशीराम गुप्त :** आपने कहा था कि विलय जनता की इच्छा से होगा किन्तु जनता की इच्छा जानने की कौन सी पद्धति होगी ?

†**श्री हजरनवीस :** अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, हर मामले पर उसका अध्ययन करने के बाद ही निर्णय किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं और मंत्रि-परिषदों तथा कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २—(परिभाषायें तथा निर्वचन)

†**श्री द्वारकादास मंत्री :** मैं अपना संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं

†**श्री प्रताप सिंह :** मैं अपना संशोधन संख्या २४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बड़े :** मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं।

श्री द्वारका दास मंत्री : इस क्लाज के सम्बन्ध में मैं जो संशोधन लाया हूं, उसका मंशा यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो रखा गया है, वह कांस्टीट्यूशन के लिहाज से तो ठीक है किन्तु जो आदमी वहां रहे, वह संलग्न प्रान्त का गवर्नर हो ताकि यूनियन टैरिटरी में जो बसने वाले लोग हैं और साथ ही साथ पड़ोस के प्रान्त में रहने वाले जो लोग हैं, उन दोनों को एक ही आदमी के पास जाने का मौका मिले। आपने कहा है कि इन यूनियन टैरिटरीज़ का आप पड़ोस के राज्यों में मर्जर चाहते हैं। उस लिहाज से भी इस से अच्छा वातावरण तैयार होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सुपीरियारिटी और इनफीरियारिटी कम्प्लैक्स आने का जो सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि गवर्नर से कम दर्जे का आदमी रखा जा रहा है वह शुबहा भी इससे दूर हो जायेगा। आप को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द्वारका दास मंत्री]

एक दूसरा नया ग्राफिस बनाने की भी इससे जरूरत नहीं पड़ेगी । हमारे देश में एमरजेंसी है ग्रौर इस इमरजेंसी में खर्च कम करने की बात भी चल रही है । ग्रलग से एडमिनिस्ट्रेटर या लैफ्टिनेंट गवर्नर जो कोई भी रखा जाता है, उससे खर्च बढ़ेगा क्योंकि ग्रलग से दफ्तर ग्राप को रखना पड़ेगा, ग्रलग से स्टाफ रखना पड़ेगा । ग्रगर इन दोनों पदों को मिला दिया जाये तो खर्चा भी कम हो जायेगा । यूनियन टैरिटरीज़ का खर्चा उनकी ग्रामदनी के लिहाज़ से ज्यादा होगा। इसलिए उसको कम करने के उद्देश्य से ग्रगर संलग्न प्रान्त के गवर्नर को ही यह काम भी सौंप दिया जाता है ग्रौर उसको ही उस यूनियन टैरिटरी का हैड मुकर्रर किया जाता है, तो खर्चा कम हो सकता है ।

मेरा निवेदन है कि एक नया ग्रादमी न रख कर उस गवर्नर को ही जिस के पास ग्राज भी ग्राफिस है, स्टाफ है, ग्रगर नियुक्त कर दिया जाता है तो बाद में इन एरियाज़ को पास वाले प्रान्तों में मर्ज करने के लिए भी ग्रनुकूल वातावरण का निर्माण हो सकेगा । इस वास्ते मेरे इस संशोधन को, मैं चाहता हूं, स्वीकार कर लिया जाये ।

†**श्री बड़े** : मैं चाहता हूं कि "प्रशासक" ["administrator'] के स्थान पर जो "उप-राज्यपाल कहलायेगा" ["designated as Lieutenant Governer"] रख दिये जायें । क्योंकि "प्रशासक" का ग्रर्थ प्रशासन करने वाला है किन्तु वहां वस्तुतः प्रशासन कार्य के लिये विधान मंडलों की स्थापना की जा रही है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : "प्रशासक" शब्द का प्रयोग संविधान के ग्रनुच्छेद २३९ के ग्रर्थों में किया गया है । पदनाम देना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है ।

†**श्री प्रताप सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय—

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ग्राप इसके बारे में बोल चुके हैं ।

†**श्री प्रताप सिंह** : मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रशासन की पदावधि का भी उल्लेख होना चाहिये । इसी मकसद से मैंने ग्रपना एमेंडमेंट रखा है ।

हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इस बिल को इस सदन में पेश करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर का क्या दर्जा होना चाहिये, उस पर काफी रोशनी डाली है । मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है कि उस पद का नाम क्या होगा । वह लैफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है या कोई ग्रौर नाम भी उसको दिया जा सकता है । इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि किसी भी स्टेट के लिए जब गवर्नर नियुक्त किया जाता है तो उसकी टर्म डिफाइन रहती है ग्रौर कांस्टीट्यूशन ग्राफ इंडिया की धारा १५६ में भी इस बारे में साफ लिखा हुग्रा है । उसका साफ मतलब यह है कि किसी भी स्टेट के गवर्नर के लिए जो टर्म है वह कांस्टीट्यूशन ग्राफ इंडिया के मुताबिक पांच साल है । ऐसी सूरत में यूनियन टैरिटरी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाए, उसके लिए कहीं भी कोई टर्म न रखी जाए, यह मुनासिब प्रतीत नहीं होता है । यह चीज न तो कांस्टीट्यूशन में डिफाइन की गई है ग्रौर न ही इस बिल में डिफाइन की गई है । इसके बारे में इस बिल में कुछ भी नहीं कहा गया है । ग्राप जानते ही हैं कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए चाहे वह किसी भी रैंक का क्यों न हो, टर्म डिफाइन की गई है ग्रौर

†मूल ग्रंग्रेजी में

कहा गया है कि किसी भी जगह पर अगर उसको रखा जाता है, तो उस जगह के लिए ज्यादा से ज्यादा उसकी अवधि तीन साल की होगी। हमारा यह हाउस है, इसकी अवधि भी पांच साल रखी गई है। हर एक की अवधि रखी गई है। मैं नहीं समझता हूं कि जो यूनियन टैरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर रखे जायें, उनको ला महदूद अर्से के लिए कायम रखने का आपका मंशा क्या है। अगर इस तरह से किया जाता है तो उसके वैस्टिड इंटिरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं और वह चीज़ न तो जनता के लिए हितकर है और न ही सरकार के लिए हितकर हो सकती है। दोनों के लिए वह हानिकारक है। वह चीज़ कानून के भी विरुद्ध जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर होम मिनिस्टर साहब इसको इस बिल में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम इसको रूल्ज़ में रख दिया जाए और अगर रूल्ज़ में भी नहीं रखा जा सकता है तो जो स्टैंडिंग आर्डर्ज़ जारी हों, उन में इसको रख दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा अवधि पांच साल की होगी। अगर इससे ज्यादा अर्से के लिए कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेटर को रखने की जरूरत महसूस होती है, तो मेरी प्रार्थना है, कि उसको उसी टैरिटरी में न रख कर, दूसरी जगह रखा जाए।

†**श्री हजरनवीस :** मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री संभवतः पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं।

†**श्री हजरनवीस :** प्रशासक और राज्यपाल के कर्त्तव्य एक में ही नहीं मिलाये जा सकते क्योंकि प्रशासक राष्ट्रपति की ओर से कार्यपालक के रूप में कार्य करता है जब कि राज्य पाल कुछ-कुछ राज्य के अध्यक्ष के समान होता है और वह राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र में राज्यपाल को प्रशासक नियुक्त करने से राज्यपाल की प्रतिष्ठा भी कम होती है। प्रशासक राज्य-क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से प्रशासन कार्य नहीं कर सकता। उसे इससे निरन्तर संपर्क बनाये रखना होता है। वस्तुतः 'क' श्रेणी के राज्य के राज्यपाल से भी अधिक वह मंत्रि-परिषद् के संपर्क में रहता है।

जहां तक समय सीमा का प्रश्न है। राज्यपाल की पुनःनियुक्ति की जा सकती है और इस प्रकार उसकी सेवावधि १० वर्ष की भी हो सकती है। ५ वर्ष की सीमा भी उसकी सेवावधि को समाप्त नहीं कर सकती क्योंकि उसको पुनःनियुक्त किया जा सकता है।

†**श्री द्वारका दास मंत्री :** मैं अपना संशोधन संख्या ११ वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या ११, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

†**श्री प्रताप सिंह :** मैं भी अपना संशोधन संख्या २४ वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, संख्या २४, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ मतदान ले लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खंड ३—(संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभायें तथा उनकी रचना)

†**श्री बड़े :** मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

इस संशोधन द्वारा मैं चाहता हूं कि पृष्ठ २ की पंक्ति २८ से ३० निकाल दी जायें, जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक ३ ऐसे सदस्यों को, जो सरकारी सेवा में नहीं है । संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित कर सकेगी । मैं नाम निर्देशित किये जाने के विरुद्ध हूं और इस उपबन्ध से विधेयक में असंगतता भी उत्पन्न हो जाती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस बात के विषय में हम पहले हो तर्क कर चुके हैं ।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** किन्तु मंत्री महोदय ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने इस नामनिर्देशित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या २ से बढ़ा कर ३ किये जाने के विषय में भी कोई उल्लेख नहीं किया । और राज्यों में एक या दो सदस्यों को ही नाम-निर्देशित किया जा सकता है और वह भी उल्लिखत वर्ग के लोगों को ही । जिस राज्य क्षेत्र में आवश्यकता हो वहां अनुसूचित जाति और दुर्बल वर्ग के लोगों में से एक या दो सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाना ही पर्याप्त होगा ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** हमें यह मालूम नहीं है कि इन ३ सदस्यों को कौन से वर्ग में से नाम-निर्देशित किया जायेगा । वह अल्प-संख्यकों में से लिये जायेंगे या दुर्बल वर्ग में से । या यह किसी पर राजनैतिक अनुग्रह करने के लिये किये जायेंगे । संविधान में केवल दुर्बल वर्ग में से ही नाम निर्देशित करने का उपबन्ध है । मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट कर दें ।

†**श्री हजरनवीस :** संयुक्त समिति में इस विषय पर चर्चा होने के बाद संख्या २ से बढ़ा कर ३ कर दी गई । मैं ने इस विधेयक को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर भाषण देते समय कहा था कि यह दुर्बल वर्ग के संबंध में ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

पक्ष में २५; विपक्ष में १४८ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :–

"कि खंड ४ तथा ५ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ तथा ५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ६––(विधान सभा के अधिवेशन। सत्रावसान तथा विघटन)

†**श्री वासुदेवन् नायर** : मैं अपना संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं ।

मैं चाहता हूं कि प्रशासक को विधान सभा को विघटित करने की शक्ति न दी जाये । मंत्री महोदय ने केवल यही तर्क प्रस्तुत किया कि प्रशासक सभा के प्रति उत्तरदायी है । यह असंगत है । दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि सरकार का भेजा हुआ प्रतिनिधि राज्य की विधान सभा को भंग कर दे ।

†**श्री हजरनवीस** : संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल सभा का सत्रावसान कर सकता है अथवा उसे भंग कर सकता है । विधेयक द्वारा बनाये जाने वाली संस्थाओं और प्रशासन के संबंध में हमने लगभग वही उपबन्ध रखे हैं जो श्रेणी 'क' राज्यों के संबंध में हैं ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : राज्य पाल को मंत्रि-परिषद् सलाह देता है ।

†**श्री हजरनवीस** : यहां भी उसे सलाह दी जायेगी । गृह कार्य मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि वह मंत्रि-परिषद् की सलाह से ही कार्य करेगा । विधान सभा की अवधि समाप्त होने पर मुख्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री ही विघटन की सलाह देता है । खंड ४४ के अधीन रहते हुये यहां भी वही उपबन्ध रखा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह ।

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७––(विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष) ।

†**श्री यशपाल सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या १३ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ से ११ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ से ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५ से २१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १५ से २१ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२ से ३२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २२ से ३२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ३३ (प्रक्रिया संबंधी नियम) :

†**श्री बड़े** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ और ५ प्रस्तुत करता हूं ।

इस खंड के अनुसार विधान सभा के सदस्य प्रशासक और उस के द्वारा किये हुए कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते । सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में भी प्रशासक हस्तक्षेप कर सकता है । इन दोनों उपबन्धों को हटाने के लिये मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या २१ अवरुद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३४

†**श्री बड़े :** मैं संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३४ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३५ से ४३ विधेयक में जोड़ दिय गये

खण्ड ४४ (मंत्री परिषद्)

†**श्री बड़े :** मैं संशोधन संख्या ७ और ८ प्रस्तुत करता हूं । हम प्रशासक के स्वविवेक की शक्ति का विरोध करते हैं ।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** मैं संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं खंड ४४(१) के परन्तुक के विरुद्ध हूं । मंत्रिपरिषद् की शक्तियों पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । इस परन्तुक से बहुत कठिनाइयां होंगी । प्रशासक और मंत्रिपरिषद् में मतभेद होने पर मामला राष्ट्रपति के पास जायगा । इस से काफी समस्यायें बढ़ेंगी । सभी लोग चाहते है कि मंत्रिपरिषद् को सब मामलों में पूरी शक्ति होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिये । यदि अभी नहीं, तो निकट भविष्य में कर देनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७, ८ और २२ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४४ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ४५ (मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबन्ध)

†**श्री द्वारका दास मंत्री** (भीर) : में संशोधन संख्या १६ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का क्लाज़ ४५(१) मुख्य मंत्री की नियुक्ति से सम्बन्धित है । लोकतंत्रीय पद्धति में मुख्य मंत्री का चुनाव लेजिस्लेचर के मैम्बर्स में जो बहुमत में होते है, उन के द्वारा किया जाता है किन्तु इस ४५(१) क्लाज़ में यह रक्खा गया है कि चीफ़ मिनिस्टर को प्रेजिडेंट नियुक्त करेगा । मैं ने इस के लिए अपने संशोधन नम्बर १६ में कहा है कि इस में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सदस्य चुन कर आये हैं वे ही चीफ मिनिस्टर को चुनने के हक़दार होंगे और चीफ़ मिनिस्टर उन्हीं एलेक्टेड मैम्बर्स मैं से एक होगा ।

यहां पर हम देख रहे हैं कि ३ या २ सभासद अध्यक्ष की ओर से नियुक्त होने वाले हैं और अगर क्लाज़ को वर्तमान शकल में क़ायम रक्खा जाता है और मेरा संशोधन यदि नहीं माना जायगा तो नियुक्त किये गये सदस्य भी क्लाज़ के मुताबिक़ मुख्य मंत्री बनने के हक़दार हो सकते हैं । लोक-तंत्रीय पद्धति के अनुसार यह व्यवस्था तो कम से कम रक्खी ही जानी चाहिए कि जो सभासद चुन कर आयेंगे उन चुने हुए सभासदों में जिस पार्टी या ग्रुप के लोगों की अधिक संख्या हो, जिन का बहुमत हो, उन में से एक आदमी को मुख्य मंत्री बनाया जाय । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं ने यह संशोधन सदन के सामने स्वीकृति के लिए रक्खा है ।

†**श्री हजरनवीस :** संविधान लगभग १३ वर्ष के लिए लागू रहा है । नामनिर्देशित सदस्य कभी मंत्री नियुक्त नहीं किया गया है ।

संशोधन स्वीकार करने पर एक और कठिनाई होगी । जो सदस्य सभा में निर्वाचित हो कर नहीं आया हो, वह मुख्य मंत्री नहीं बन सकेगा । वर्तमान उपबन्ध संविधान के उपबन्धों के अनुसार है । खण्ड ४५ में व्यवस्था की गई है कि जो मंत्री ६ महीनों के लिए सदस्य नहीं बनता वह मंत्री नहीं रहेगा । अतः निर्वाचित व्यक्ति ही मंत्री बनेंगे ।

†**श्री द्वारका दास मंत्री :** मैं अपने संशोधन पर बल नहीं देता हूं ।

संशोधन संख्या १६, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि खंड ४५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४५ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ४६ से ५२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ५३—(गोआ, दमन और दीव और पांडिचेरी से संसद् को निर्वाचन के लिये उपबन्ध) :

†**श्री बड़े :** मैं संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हजरनवीस :** मैं संशोधन का विरोध करता हूं । समय सीमा निर्धारित करना असम्भव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५४ (कुछ संघ क्षेत्रों की अस्थ ायी विधान सभाओं के बारे में उपबन्ध)

†**श्री बड़** : मैं संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

यह खण्ड संविधान के विरुद्ध है। यदि वर्तमान राज्य क्षेत्र परिषदों को विधान सभाएं मान लिया जाय तो राजनैतिक दलों को निर्वाचन लड़ने का मौका नहीं मिलेगा । यह लोकतंत्र सिद्धांत के विरुद्ध है ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं संशोधन का विरोध करता हूं । यह कहना गलत है कि राजनैतिक मामले निर्वाचन में नहीं उठाए गए थे । यदि माननीय सदस्य के वक्तव्य पढ़ें जोकि निर्वाचन में दिए गए, तो पता चलेगा कि इस विधेयक के बारे में लोग भली भांति जानते थे और लोगों को पता था कि वे राज्य क्षेत्र परिषदों के सदस्य ही नहीं बन रहे थे, परन्तु बनने वाली विधान सभा के सदस्य बन रहे थे ।

संशोधन संख्या १० मतदान के लिय रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५४ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ५५ और ५६ विधेयक में जोड़ दिय गए ।

खण्ड ५७ (कुछ अधिनियमों का संशोधन) :

†**श्री हजरनवीस** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ २६, पंक्तियां १९ और २० में से निम्नलिखित हटा दिया जायें :—

"in their application to the union territories specified in clause (h) of sub-section (1) of section 2"

["धारा २, की उपधारा (१) के खंड (ज) में उल्लिखित संघ क्षेत्रों पर उन के लागू होने में,"] (१८)

यह संशोधन स्पष्टीकरण के लिए है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २६, पंक्तियां १९ और २० में से निम्नलिखित हटा दिया जायें :—

"in their application to the union territories specified in clause (h) of sub-section (1) of section 2,"

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

["धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (ज) में उल्लिखित संघ क्षेत्रों पर उन के लागू होने में ,"] (१८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खण्ड १ (संक्षिप्त नाम और प्रभावी होना)

†**श्री बड़े** : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सरकार इस अधिनियम के पारित होने की ६ महीनों के अन्दर इस अधिनियम को लागू कर दे । मैं ने इसलिए भी संशोधन प्रस्तुत किया है कि निर्वाचन ६ महीनों के अन्दर किया जाये ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं संशोधन स्वीकार नहीं करता हूं । इस कानून को लागू करने में कोई ऐसी देरी नहीं होगी जोकि रोकी न जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया और अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये" ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : खण्ड ३ में नामनिर्देशन के बारे व्यवस्था की गई है । यह उचित है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में ऐसे लोग रहते है जोकि

†मूल अंग्रेजी में

कम पढ़े लिखे हैं और लोकतंत्रात्मक जीवन के बारे में कम जानते है। अतः उन लोगों के प्रतिनिधियों को नामनिर्देशित करना जरूरी है ताकि वे भी लोकतंत्र के बारे में सीखें।

राज्य क्षेत्र परिषदों को विधान सभा बनाने में कोई बुरी बात नहीं है। सरकार शीघ्र ही विधेयक को कार्यान्वित करना चाहती है। बाद में निर्वाचन होंगे।

प्रशासक का पद गवर्नमेंट या लैफ्टीनेंट गवर्नर से भिन्न है फिर भी इस प्रबन्ध को ग्राजमाना चाहिये। यदि कोई त्रुटि नजर ग्राये तो बाद में संशोधन किया जा सकता है।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** हमारे संशोधन बिल्कुल उचित थे, परन्तु सरकार ने उन संशोधनों को नहीं माना है।

माननीय मंत्री ने मौखिक ग्राश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ग्राशा है कि प्रशासक का मंत्रिपरिषद् से मतभेद नहीं होगा। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि केंद्रीय सरकार को संघ क्षेत्रों के मामलों में ग्रनावश्यक हस्तक्षेप करने का मौका नहीं होगा। ये सब ग्राश्वासन विधेयक में दिए जाने चाहियें।

वह दिन दूर नहीं होगा जब संघ क्षेत्रों में सही ग्रर्थ में लोगों के प्रतिनिधियों की सरकार होगी।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) :** जिस निष्ठा से ग्राश्वासन दिए गए है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। विधेयक के उपबन्धों को लागू तो करना चाहिये।

कुछ क्षेत्रों के साथ देश के ग्रन्य भागों से भिन्न व्यवहार करना पड़ता है क्यों ?

मनीपुर ग्रौर त्रिपुरा के बारे में राज्य पुनर्गठन ग्रायोग ने कहा था कि पूर्ण क्षेत्र बनने की ग्राशा न रखें।

कल माननीय मन्त्री ने कहा था कि सरकार इस विधेयक का समर्थन करने के लिए तैयार है जो कि संविधान में संशोधन करके गणपूर्ति के उपबन्ध को हटा दे, परन्तु इस विधेयक में विधान सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की एक तिहाई निर्धारित की जा रही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** जब सभा ने सितम्बर, १९६२ में संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक पारित किया तो संघ क्षेत्र के लोगों के दिलों में बड़ी ग्राशायें उठीं थीं कि उन्हें लोकप्रिय प्रशासन मिलेगा, ७-८ महीने के बाद उनकी भाषाग्रों पर पानी फिर गया।

श्री बड़े : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बारह पंन्द्रह एमेंडमैंट दिये थे ग्रौर ग्राशा की थी कि उन में से कुछ एक तो सरकार की तरफ से मंजूर कर दिये जायेंगे। लेकिन उन में से एक को भी स्वीकार नहीं किया गया है। हमेशा ऐसे ही ग्रपोजीशन वाले जो एमेंडमेंट देते हैं उनका हाल होता है। देवकी के पुत्र जिस तरह से मरने के लिए तैयार होते थे बाद में भगवान् श्रीकृष्ण को उसी तरह से हमारे ग्रमेंडमेंट भी मरने के लिए तैयार होते हैं। देवकी के सात पुत्र मार दिये गये थे लेकिन ग्रांठवें भगवान् कृष्ण

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

हुए थे। मेरा निवेदन है कि हमारे अमेंडमेंट जो स्वीकार नहीं किये गये हैं इसका हमें दुःख नहीं है इसका हमें अफसोस नहीं है। लेकिन आपकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। कल ही प्रधान मन्त्री नेहरू जी ने कहा था कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिये हैं उनको उन्हें पूरा करना चाहिये और उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा होता है तो जनता यही कहेगी डाक्टर हील दाई सैल्फ। आश्वासन तो आपने दे दिये हैं लेकिन उन आश्वासनों को आपको पूरा भी करना चाहिये। अगर ऐसा होता है तो हमारे जो एमेंडमेंट अस्वीकार कर दिये गये हैं उसका हमें अफसोस तो नहीं है लेकिन जिस प्रयोजन को लेकर वे दिये गये थे वह सिद्ध हो गया है ऐसा हम मान लेंगे।

†**श्री हजरनवीस** : मैं श्री बड़े से बिल्कुल सहमत हूं। संविधान के शब्द इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि वह तरीका जिसमें संविधान चलता है। आशा है कि जब ये संस्थाएं अस्तित्व में आयेंगी तो संघ क्षेत्रों के लोग अपने भाग्यों के स्वयं निर्माता होंगे और वे मिल कर क्षेत्रों के विकास में शक्ति लगाएंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बोस आयोग की जांच पर महान्यायवादी के प्रतिवेदन के तथाकथित प्रकट हो जाने के बारे में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री श्री क० च० रेड्डी।

†**श्री दाजी** (इंदौर) : मैं एक मामला उठाना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय से अनुमति ले ली है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

†**श्री दाजी**: बोस आयोग पर महान्यायवादी और श्री शास्त्री के प्रतिवेदन का एक भाग जो समवाय विधि के बारे में सभापटल पर रख दिया गया है और पहला भाग सरकार ने सभा-पटल पर रखने से इंकार कर दिया क्योंकि जैसा कि विधि मन्त्री ने बताया कि इसके व्यक्त करने से सरकार को जो न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहे उस पर प्रभाव पड़ेगा।

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए]

अब पता चला है कि प्रतिवेदन का भाग अध्यक्ष महोदय और राज्य सभा के सभापति को श्री मेहर चन्द खन्ना ने भेजा है।

पत्र माननीय अध्यक्ष को भेजा गया है। अध्यक्ष महोदय के सचिवालय ने यह प्रतिवेदन मुझे नहीं दिया है। प्रतिवेदन का यह भाग एशिया उद्योग को और श्रीमती डालमिया को जिसे इस प्रतिवेदन को बताना नहीं चाहते थे उन्हें भी इसकी प्रति दे दी गई है। कुछ माननीय सदस्यों को भी इसका पता चल गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय:** मैं श्री दाजी से जानना चाहता हूं कि आप क्या यह प्रतिवेदन की प्रमाणिक प्रति है।

†**श्री दाजी :** मैं तो सरकार से पूछ रहा हूं कि यह प्रमाणिक प्रति है कि नहीं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]।

आज प्रातः संसद् कार्य मन्त्री को भी प्रति दी गई थी। आशा है कि ४ बजे तक पता चल जाएगा कि यह प्रमाणिक प्रति है या नहीं।

दूसरे यदि यह प्रमाणिक प्रतिवेदन है तो यह मामला बहुत गम्भीर है। संसद् सदस्यों से इस प्रतिवेदन को गोपनीय रखा गया और जिन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए था उन उद्योगपतियों को पता चल गया। हमें प्रति क्यों नहीं दी गई?

तीसरे किस व्यक्ति या स्थान से इस प्रतिवेदन का पता चला।

यदि यह प्रमाणिक प्रतिवेदन हो तो सभा को इस बात की जांच के लिये समिति नियुक्ति करना चाहिए कि इस अत्यन्त गोपनीय प्रतिवेदन के विषय का कैसे पता चला गया और सारी चर्चा निष्फल हो गई।

†**श्री बड़े (खारगोन) :** प्रातः जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या इस प्रतिवेदन के प्रथम भाग क. प्रति मिल जाएगी तो आपने कहा चूंकि सरकार इसे गोपनीय रखना चाहित. है अतः इसका मिलना कठिन है। परन्तु 'पैट्रीग्रौट' पत्र से प्रतिवेदन में प्रथम भाग का सारांश दिया हुआ है। क्या यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है। यदि है तो इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** २९ अप्रैल को जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तो विधि मन्त्री ने प्रतिवेदन के प्रथम भाग को सभा पटल पर रखने से इंकार कर दिया था। उस समय मुझे सचना मिली थी कि यह प्रतिवेदन गोपनीय नहीं रहेगी तभी मैं ने यह प्रश्न उठाया था। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है कि जो प्रतिवेदन सरकार संसद् सदस्यों को नहीं बताना चाहती उसके बारे में अन्य व्यक्तियों को पता चल गया। अब प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले तथ्यों का पता होना चाहिये फिर और मामलों का निर्णय किया जा सकता है। विशेषाधिकार के बारे में निर्णय नहीं दिया जा सकता है अब तक की असलीयत का न पता हो। यह मांग कि इस मामले की जांच होना चाहिए उचित है।

†**श्री ही०ना० मुकर्जी :** जब आपने इस मामले पर चर्चा का समय निश्चित कर दिया था तो विधि मन्त्री और संसद् कार्य मन्त्री को उपस्थित होना चाहिए था। इस प्रकार का व्यवहार ठ.क नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** सम्बन्धित मन्त्री तो इन बातों का उत्तर दे सकते हैं वे हैं। विधि मन्त्री देहली से बाहर गए हुए हैं।

†**श्री हजर नवीस :** उनका भाई बहुत बीमार है। अतः उन्हें जाना पड़ा।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** जब हमें कोई मन्त्री तथ्य बता दे तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जानी चाहिए।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्री दाजी ने कहा कि उस अभिलेख की एक प्रति आप को भी भेजी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

यह आपके नाम लिखा गया है और यदि आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें तो हम आपके बड़े आभारी होंगे ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यदि श्री दाजी के आरोप ठीक हैं तो निश्चय ही यह चिन्ता का विषय है । परन्तु हम दो बातें जानना चाहते हैं । पहिली यह कि क्या सरकार इस मामले में सरकारी रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी और दूसरी यह कि यह दस्तावेज माननीय सदस्यों को उपलब्ध न करने का कोई कारण नहीं है जबकि यही दस्तावेज कुछ सदस्यों को पहिले ही प्राप्त हो चुका है ।

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि बाद की रिपोर्ट से तीन विभाग सम्बन्धित हैं अर्थात् महा न्यायवादी तथा श्री विश्वनाथ शास्त्री की विवन बोस आयोग की सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट । इसकी जांच होनी चाहिये । कि इन में से किस साधन से रहस्य का पता लगा ।

†श्री सुरेन्द्रपाल नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह पत्र एक वकील के स्टेनोग्राफर के मित्र ने भेजा है । उसने अपना नाम व पता भी दिया है ।

†श्री हजरनवीस : कुछ समय पूर्व इस सभा में माननीय विधि मन्त्री ने बताया था कि रिपोर्ट का कुछ भाग गोपनीय था और सरकार उसे सभा पटल पर नहीं रखेगी । अब भी हम यही समझते हैं और हमारा विचार अब भी किसी के यह कहने से नहीं बदला है कि यह उस रिपोर्ट की प्रति है जो हमारे पास है जिसे हम गोपनीय मानते हैं और हम से इसे स्वीकार या अस्वीकार कराने का प्रयास करता है । अतः यह इस कारण हुआ है कि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसके पास प्रति है और सरकार उस की दृष्टि को या उसे अस्वीकार करें । सरकार यह बात नहीं मान सकती ।

रहस्य के प्रकट होने या सभा के विशेषाधिकार के बारे में मैं अभी तक इसे निश्चित रूप से नहीं समझ सका हूं । क्या यह विशेषाधिकार प्रस्ताव है ? इसे ऐसा मानते हुए मेरा निवेदन है कि यदि तथ्य सिद्ध हो जाते हैं तो सरकार या जिस पर भी आरोप लगाया जाये विशेषाधिकार के उल्लंघन की अपराधी है । यह प्रश्न निराधार नहीं उठाया जा सकता । सम्भव है कि किसी स्थिति में सरकार की उचित सावधानी न करने के लिए आलोचना की जाये । परन्तु समूचे रूप में सभा के विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे पैदा होता है । इसकी एक अनिवार्य शर्त यह है कि जो बात हमें संसद् को बतानी चाहिये थी यदि उसे हम संसद् को बता कर किसी और को बता दें । क्या ऐसा कोई आरोप है ?

†श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : एक औचित्य के प्रश्न पर विशेषाधिकार का प्रश्न इस बारे में है जो जानकारी हमें नहीं दी गई वह अन्यथा बता दी गई ।

†अध्यक्ष महोदय : यह औचित्य का प्रश्न नहीं हो सकता ।

†गृहकार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : मेरा निवेदन है कि इससे पहिले कि आपसे विशेषाधिकार के प्रस्ताव के लिए स्वीकृति मांगी जाये. आरोप प्रत्यक्ष में ऐसे होने चाहियें कि वे विशेषाधिकार के उल्लंघन का परिमत उदाहरण हो ।

†अध्यक्ष महोदय : अभी सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन का प्रस्ताव सभा के समक्ष नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : जब तक यह आरोप है कि अमुक मंत्री या सरकार कोई ऐसा दस्तावेज प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है जिसे वह सभा पटल पर नहीं रखती, तब तक यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न है। साथ ही मैं यह नहीं समझ पाता कि इतने पर भी मेरे माननीय मित्र इसे गोपनीय मामला बताते है। यह बात युक्तिरहित है। अतः मैं माननीय मंत्री से आशा करता हूं कि वह दस्तावेज को देखें और पता लगायें कि क्या किसी ने गोपनीय बात का पता तो नहीं लगा लिया है। सभा को यह बताना उनका काम है कि यह सत्य है या नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न है या नहीं। स्पष्टतः यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है क्योंकि जिनके पास इसकी प्रति नहीं है वह, हम हैं। अतः विशेषाधिकार की बात हो, तो हमारे लिए है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न न होकर तथ्य निर्धारण की बात है। हमें पता लगाना चाहिये यह रहस्योद्घाटन कैसे हुआ और क्या यह प्राधिकृत या मूल प्रति है। मेरा विचार है कि यह काम इस सभा का नहीं अपितु सरकार का है।

†**श्री खाडिलकर** (खेड़) : प्रश्न यह है कि यह दस्तावेज सच है या नहीं और इसका जो भाग प्रेस में प्रकाशित हुआ है यह पता लगाना कि उसमें उल्लिखित सच है या नहीं, संबंधित मंत्री का काम है। अन्यथा, वह इस सभा को क्या बतायेंगे।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : सरकार महान्यायवादी की रिपोर्ट की प्रति के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कह रही है कि यह सच है या नहीं। यदि सरकार इस बारे में कोई निश्चित बात नहीं कहती तो मेरा ख्याल है कि सभा यह मानने को तैयार है कि यह सच्ची प्रति है और यदि यह निर्णय किया जाता है तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है। अतः इस स्थिति का निर्णय होना चाहिये।

†**श्री हजरनवीस** : सुझाव दिया गया है कि मैं उत्तर दूं। परन्तु मुझे विदित होना चाहिये कि सभा की कार्यवाही किस बारे में है। यदि कोई प्रश्न पूछा जाये, या ध्यान आकर्षित किया जाये या विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उठाया जाये. तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। कोई भी जांच अचानक नहीं की जा सकती और न हीं अचानक उत्तर दिया जा सकता है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : औचित्य का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने इस दस्तावेज के बारे में लोकहित का तर्क नहीं अपनाया है। सरकार ने इस दस्तावेज की सफाई या झूठेपन के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले के बारे में सरकार का क्या विचार है।

†**श्री त्यागी** : क्या चर्चा का दस्तावेज पटल पर रखा जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों ने अनेक बातों पर आपत्तियां की हैं। हमें यह पता लगा है कि एक व्यक्ति ने, जिसने अपना नाम मेहर चन्द खन्ना लिखा है, कुछ सदस्यों को डाक से कुछ प्रतियां भेजी हैं। इससे अनेक बातें पैदा होती है। सरकार ने यह भी नहीं कहा है कि वह कथित बातों की जांच करेगी। यदि सरकार अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि यह प्रति सच्ची है या नहीं, तो कम से कम वे यह तो कह सकते है कि वे इस की जांच करेंगे। यह प्रश्न अवश्य निश्चित होना चाहिये और इस बारे में सभा को सन्तुष्ट करना सरकार का काम हैं।

माननीय मंत्री ने कहा है कि उचित रूप में कोई प्रश्न नहीं पूछ गया है। यह बात सर्वथा भिन्न है। सारा प्रश्न इस प्रति के बारे में है। सदस्य पहिला प्रश्न यह पूछते हैं कि क्या यह प्रति

†मूल अंग्रेजी में

जो उनके पास है उस मूल रिपोर्ट की सच्ची प्रति है या नहीं जो महान्यायवादी ने सरकार को दी है। फिर, यह मान लिया गया है कि विशेशधिकार का उल्लघंन हुआ है। परन्तु किसी ने यह नहीं कहा कि सरकार ने इसे जान-बूझ कर प्रकाशित किया है। जब तक कि हम यह सिद्ध न करें कि सरकार ने इसे प्रकाशित किया है, तब तक यह विशेशधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता। इसके लिए कम से कम यह तो सिद्ध होना चाहिये कि सरकार इतनी असावधान रही कि यह गोपनीय बात व्यक्तियों को विदित हो गई। फिर भी, देखना होगा कि असावधानी के विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं। इसके अतिरिक्त, यह भी संभव है कि किसी ने उसे चुराया हो और अब संरक्षणार्थ इसे सदस्यों को भेज दिया है। ऐसे मामले में, निश्चय ही सदस्यों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपराधी का पता लगाने में सरकार की सहायता करें। अतः इस पर आगे कार्यवाही करने से पहिले इन बातों के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिये।

†**श्री हजरनवीस** : इसे गोपनीय दस्तावेज़ माना जाता है और हम इसे गोपनीय रखना चाहते थे। यदि मांग न की जाती, तो हम इसे न बताते। निश्चय ही हम इसकी जांच करेंगे कि क्या वास्तव में रहस्योद्घाटन हुआ है और यदि हुआ है, तो कैसे हुआ है और कौन उसके लिए ज़िम्मेदार है। हम यह पता लगाने की अपनी ज़िम्मेवारी से नहीं बच सकते कि हमारा गोपनीय दस्तावेज गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास कहां आया। यह बड़ी गम्भीर बात है। अतः हम इसकी बहुत जल्दी जांच करेंगे और जहां तक मुझे विदित है इस बारे में कार्यवाही की गई है। यह निश्चित करने के बाद हम कहेंगे हां यह दस्तावेज है जो प्रकाशित हो गया। संभव है कि यह विदित हो गया हो, और प्रकाशित न हुआ हो और किसी अन्य व्यक्ति ने सर्वथा झूठी बात प्रकाशित कर दी हो। यह संभावना हो सकती है। (**अन्तर्बाधा**) मैं आप का निदेश चाहता हूं कि क्या इसकी जांच करने के बाद हमें यह बताना चाहिये कि यह प्रति है या नहीं है।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैंने दस्तावेज के बाहर जाने या अन्यथा के प्रश्न पर कहा था कि यह रहस्योद्घाटन उस ही स्थिति में होगा जब कि यह प्रति सच्ची हो। अन्यथा, यह समाचार बाहर जाने का प्रश्न नहीं हो सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहिली मांग यह है कि सरकार को बताना चाहिये कि क्या यह मूल अभिलेख की सच्ची प्रति है या नहीं। इसके बाद ही दूसरी बात उत्पन्न हो सकती है।

†**श्री शं० शा० मोरे** : मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या अभिलेख सभा में प्रस्तुत किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। मुझे बताया गया था कि माननीय संसद्-कार्य मंत्री को प्रति दी गई है। यह अब उनके हाथ में है।

†**श्री त्यागी** : आप के निर्णय के बाद भी सरकार ने यह नहीं बताया है कि प्रति सच्ची है या नहीं क्योंकि सचाई होने पर बताने से रहस्य खुल जायेगा। अतः माननीय मंत्री कहते हैं कि इसके गोपनीय होने के कारण वे इसकी यथार्थता की जांच नहीं करेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

†**श्री हजरनवीस** : मेरा तर्क यह नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : औचित्य के प्रश्न पर। उल्लेख किया गया है कि माननीय संसद्-कार्य मंत्री के हाथ में इस रिपोर्ट की प्रति है। हमारे प्रक्रिया नियमों के अनुसार यह सभा दूसरी सभा की कार्यवाही को मान्यता नहीं दे सकती।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मेरे पास यह वह प्रति है जो मुझे अन्य सभा में दी गई थी। में नहीं जानता कि माननीय सदस्य के पास कौन सी प्रति है।

†**श्री दाजी** : माननीय संसद्-कार्य मंत्री के पास जो अभिलेख है वह अक्षरशः वही है जो मेरे पास है, जो सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी तथा अन्य सदस्यों के पास है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए ४ घंटे ४५ मिनट मिल गये है कि यह प्रति सच्ची है या नहीं। में गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह समझती है कि यह अभिलेख किसी प्रकार परिचालित हो गया है और यदि सरकार इसका खण्डन नहीं करती और कहती कि यह सच्ची नहीं है, तो क्या इसे स्वीकार करती है या नहीं ? अतः स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। तीसरी बात इसे सभा-पटल पर रखने की है। निश्चय ही में इसे आप को दे सकता हूं और आप के द्वारा मान्यता निर्धारण के लिए संबंधित मंत्री को दे सकता हूं।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : में स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो प्राप्त हुआ है उसे अभिलेख कहा गया है। यदि उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, तो सभा उस को मान्यता नहीं दे सकती। श्री दाजी चाहते है कि सरकार यह बताये कि उनके पास जो अभिलेख है वह वही रिपोर्ट है जो महान्यायवादी ने दी है। सरकार से इसका उत्तर नहीं मांगा जाना चाहिये। अन्यथा सरकार के लिए बड़ी बुरी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

*†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मेरी प्रति पर भेजने वाले के हस्ताक्षर हैं। यदि आप सहमत हों तो इसे पटल पर रख सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। अभिलेख पटल पर नहीं रखे जाते। उसे सदस्य सरकार को भेज सकते हैं और हो सकता है कि सरकार उसकी जांच करे। जब तक कि अभिलेख से उद्धरण न दिये जायें और जिस अभिलेख की सभा में मांग न की जाये तब तक अभिलेख पटल पर नहीं रखे जाते। में इनमें से किसी भी बात के किये जाने की अनुमति नहीं देता। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य के पास जो अभिलेख है, उसे सरकार को दिया जा सकता है। क्या संबंधित मंत्री भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : मैं ११ बजे से सभा में हूं। मैं अपने कागजों को नहीं देख सका हूं। बाद में मैं वक्तव्य दे सकूंगा।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैंने दूसरी सभा में ठीक यही कहा था जो आपने कहा है। मैंने सरकार की ओर से उस अभिलेख के बारे में यह कार्य करने का वचन दिया था। हम नहीं जानते कि माननीय सदस्य किन अभिलेखों का उल्लेख कर रहे हैं। संभव है कि वे भी इसी के बारे में कह रहे हों। वे भी हमें दे सकते हैं। हम तुलना कर सकते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आपने स्पष्ट कहा था कि सरकार को जांच करके यह सभा को बताना चाहिये कि क्या हमारा अभिलेख सच्चा है या नहीं। उन्हें यह काम सोमवार को सभा की बैठक आरम्भ होने से पहिले ११ बजे तक कर लेना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** दूसरी सभा में भी संसद्-कार्य मंत्री ने यही कहा था जो यहां कहा है। उन्होंने प्रति मांगी और वह उन्हें मिल गई है।

†**श्री मुरारका :** प्रश्न यह है कि सभा ने मांग की थी कि अभिलेख पटल पर रखा जाये जिस के लिये सरकार ने गोपनीयता के आधार पर मना कर दिया। यदि यह वही प्रति नहीं है जो सरकार के पास है, तो सरकार कह सकती है 'नहीं'। कोई भी सरकार को मूल प्रति पटल पर रखने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क०च० रेड्डी) :** मैं नहीं जानता कि जो अभिलेख परिचालित किया गया है वह सच्चा है या नहीं। मैंने अभी तक इसकी प्रति नहीं देखी है और मेरे लिये इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है।

२९ तारीख को विधि मंत्री ने कहा था कि दफ्तरी-शास्त्री रिपोर्ट का प्रथम खंड लोक हित में पटल पर नहीं रखा जा सकता। सरकार का मत अब भी यही है। कहा जा रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा भेजे गये अभिलेख सरकारी अभिलेख की वास्तविक प्रति है। अतः सरकार से कहा जाता है कि वह इस बारे में कुछ कहे। मान लीजिये कि सरकार किसी मामले के बारे में कहती है कि कुछ गोपनीय है, यह लोक हित में प्रकाशित नहीं हो सकता, आदि। मान लीजिये कि हर बार कोई सदस्य कोई अभिलेख लाते हैं और कहते हैं कि यह प्रति है और इसे आप सभा में रखना क्यों नहीं चाहते। कृपया बताइये कि यह सच्ची प्रति है या नहीं। सरकार के लिये यह तो बड़ी ही बुरी स्थिति होगी।

यह बहुत ही गम्भीर बात है जिस पर केवल माननीय अध्यक्षपीठ को ही नहीं अपितु सभा को भी ध्यान देना होगा। और यदि एक बार किसी मामले के बारे में प्रथा बन जाती है जिसके लिये सरकार समझती है कि लोक हित में उसे बताया नहीं जा सकता, ऐसे प्रत्येक मामले के बारे में अभिलेख बिना नाम के रखे जाते हैं और यदि कोई यह पता लगाने का प्रयास करता है कि इस में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, तो यह अन्तहीन मामला बन जाता है। यह बड़ी ही भयंकर बात है जिस पर ध्यान देना होगा। **(अन्तर्बाधा)** इसके अतिरिक्त, अभिलेख के बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है। अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार ने इस अभिलेख का विषय किसी को नहीं बताया है। **(अन्तर्बाधा)** जैसा कि आपने कहा कि कुछ जानकारी बाहर निकल गई हो, यह कैसे निकली, आदि, यह मान कर कि यह सब कैसे हुआ। इस के बारे में मेरे सहकर्मी माननीय संसद-कार्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** औचित्य के प्रश्न पर। माननीय मंत्री स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी है। क्या मैं यह समझ लूं--क्या वह उत्तरदायित्व लेते हैं, और यदि बाद में अभिलेख सच्चा सिद्ध होता है तो क्या वह उसे रखने को तैयार हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** केवल इस कारण कि बाद में अभिलेख ठीक सिद्ध हो, अतः वे जिम्मेदार हैं, ये सब बातें अब पैदा नहीं होतीं जब तक कि हमें विदित न हो कि वह गया कैसे....

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वह यह कैसे कह सकते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह कह सकते हैं कि जहां तक उनका संबंध है, उन्होंने वह किसी को नहीं दिया है और न ही उन्होंने निकाला है। उनकी जानकारी में वह न प्रकाशित हुआ है और निकाला गया है। वह यही कह रहे हैं। उनकी जानकारी के बिना, और उनके यह जाने बिना। यह किसी

†मूल अंग्रेजी में

तरह बाहर चला गया है। फिर, वह उत्तरदायी नहीं हो सकते। जांच होने के बाद उन परिस्थितियों को देखा जायेगा **(अन्तर्बाधा)** मैं सभा स्थगित कर रहा हूं।

परन्तु यह इतना आसान मामला नहीं है जैसी कि यहां बात की जा रही है। सभा का कार्य विवन वोस आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना है। उस मामले में, मांग की गई है कि पहिला भाग भी पटल पर रखा जा सकता है। इसका भाग रख दिया गया है। अतः प्रश्न का यहां सीधा संबंध है। सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि प्रथम भाग गोपनीय है। सदस्य कहते हैं कि पहिला भाग भी किसी प्रकार व्यक्तियों को मिल गया है जिन्होंने डाक से उसे सदस्यों के पास भेज दिया है। अतः इसका, हमारे समक्ष जो कार्यवाही है, उससे सीधा संबंध है और हमें विचारविमर्श करना है। सरकार को यह अवश्य पता लगाना चाहिये और सन्तुष्ट होना चाहिये कि यह आरोप कैसे लगाया जा रहा है, कि यह रिपोर्ट है, यह वास्तविक रिपोर्ट है, आदि **(अन्तर्बाधा)**।

कुछ माननीय सदस्य : श्री मेहर चन्द खन्ना आ गये।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति : मंत्री महोदय पहिले ही कह चुके हैं और हमारे सामने ही एक सदस्य ने उन्हें प्रति भी दी है, और वह कहते हैं कि सरकार जांच करेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ६ मई, १९६३/१६ बैशाख, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, ४ मई, १९६३

१४ बैशाख, १८८५ (शक)

विषय	**पृष्ठ**
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	५९३५—३८

(१) श्री स० मो० बनर्जी ने पूर्वी पाकिस्तान सीमा द्वारा इक्कीस संथालों के कथित अपहरण की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ने पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से हिन्दू परिवारों के सीमा पार करके त्रिपुरा में आ जाने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र	५९३८—४०

(१) 'प्रोग्रेस आफ दी थर्ड फाइव ईयर प्लान' (तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति) की एक प्रति ।

(२) कोयला-खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७०९ में प्रकाशित कोयला-खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(३) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६४९ ।

(ख) दिनांक २१ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६८२ ।

(ग) दिनांक २१ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६८३ ।

(घ) दिनांक २१ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६८४ ।

विषय पृष्ठ

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१० में प्रकाशित चीनी विक्रेता (लाइसेंस का प्रतिबन्ध हटाना) आदेश, १९६१ को रद्द करने वाली दिनांक ४ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५४

(ख) चीनी (नियंत्रण) आदेश, १९५५ को गोआ के दमन और दीव, संघ राज्यक्षेत्र पर लागू करने वाली दिनांक ७ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्य. ४३० ।

(५) भांडागार निगम अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३५ में प्रकाशित केन्द्रीय भांडागार निगम नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(६) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को धुलाई-घर और धुलाई सेवाओं का काम करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने वाली दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६१ की एक प्रति ।

(७) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९१ की एक प्रति जिसके द्वारा उक्त अधिनियम को बटन, ब्रुश, प्लास्टिक, प्लास्टिक की वस्तुओं और लेखन सामग्री की चीजों के उद्योगों पर लागू किया गया ।

(८) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उप-धार (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६३ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) योजना, १९६३ ।

(ख) दिनांक २० अप्रैल, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६६६ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना, १९६३ ।

(९) मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों में कहवा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूरों की मजूरी में अन्तरिम वृद्धि करने के बारे में केन्द्रीय कहवा बागान उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के संबंध में दिनांक ३० अप्रैल, १९६३ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०—३ (५३)/६२ की एक प्रति ।

विषय	पृष्ठ
राज्य सभा से संदेश	५६४०–४१
सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—	
(क) कि राज्य सभा को अधिलाभ कर विधेयक, १९६३ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।	
(ख) कि राज्य सभा को बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६३ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।	
विधेयक पारित	५६४१—७४
३ मई, १९६३ को प्रस्तुत, संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, १९६३ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई।	
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, और खंडवार चर्चा के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया।	
विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा	५६७४—८१

सोमवार, ६ मई, १९६३/१६ वैशाख, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

GIPND—LS III—598 (Ai) LS—20-6-63—160.

PLS. 41. XVIII. 59. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।